



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062023-246256
CG-DL-E-02062023-246256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]
No. 365]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2023/ज्येष्ठ 12, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2023/JYAISHTHA 12, 1945

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2023

सं. एफ. 1-1/2021 (सीपीपी-1/डीयू).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 के खंड (च) और खंड (छ) तथा धारा 12 (क) की उपधारा (2) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक व्यवस्थित तरीके से विनियमित करने के लिए समविश्वविद्यालय संस्थाओं के रूप में अकादमिक उत्कृष्टता के संस्थानों की घोषणा की प्रक्रिया और समविश्वविद्यालय की अवधारणा के आदर्शों के अनुरूप ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ:-

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 है।

(2) ये विनियम सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में किसी घोषणा की मांग करने वाली किसी भी संस्था के लिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन घोषित उच्चतर शिक्षा के लिए किसी संस्था के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समविश्वविद्यालय संस्था पर लागू होगा।

परंतु धारा 3 के अधीन पहले से ही सम विश्वविद्यालयों के रूप में घोषित संस्थाओं का विनियम 4 के उप-विनियम(1) में उल्लिखित पात्रता मानदंड इन विनियमों के आरंभ की तारीख से दस वर्ष के भीतर प्राप्त करेंगे।

परंतु आयोग ऐसी संस्थाओं पर समुचित अध्युपाय करेगा जो इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करने में विफल हो जाते हैं।

(3) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परंतु इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि से पहले घोषित समविश्वविद्यालय संस्थाएं इन विनियमों के प्रारंभ की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर इन विनियमों का अनुपालन करने के लिए समविश्वविद्यालय संस्था के संस्थापन प्रलेख (Memorandum of Association) या नियमों में संशोधन करेगी और अनुपालन रिपोर्ट उक्त समय सीमा के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाएगी, ऐसा न करने पर इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सकेगी।

2. परिभाषाएं.- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (1) "अकादमिक परिषद्" से समविश्वविद्यालय संस्था की अकादमिक परिषद् अभिप्रेत है;
- (2) "अधिनियम" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 3) अभिप्रेत हैं;
- (3) "संबद्ध महाविद्यालय" से किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके साथ सहयुक्त और उसके विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (4) "अध्ययन बोर्ड" से समविश्वविद्यालय संस्था के किसी विभाग का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (5) "कैम्पस" से ऐसे समविश्वविद्यालय संस्था के परिसर (शहर के भीतर एक या कई स्थान) अभिप्रेत है, जिसमें इसकी सुविधाएं, संकाय, कर्मचारीगण, छात्र और शैक्षणिक विभाग स्थित हैं;
- (6) "केंद्र" से समविश्वविद्यालय संस्था का अध्ययन केंद्र अभिप्रेत है;
- (7) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति कुलपति" से समविश्वविद्यालय संस्था के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति और प्रति कुलपति अभिप्रेत है;
- (8) "महाविद्यालय" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह संबद्ध महाविद्यालय या घटक महाविद्यालय हो, जिसे इस तरह या किसी अन्य नाम से जाना जाता है और स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएचडी प्रदान करता है। ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम या सभी एक साथ, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस तरह के कार्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए सक्षम के रूप में मान्यता दी गई है;
- (9) "संघटक महाविद्यालय" से कोई ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो प्रायोजक निकाय के प्रशासनिक, शैक्षिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है;
- (10) "संघटक इकाई" से समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने वाले किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की तारीख पर विद्यमान संस्था की कोई शैक्षिक इकाई (विद्यालय या केन्द्र या विभाग) अभिप्रेत है;
- (11) "विभाग" से समविश्वविद्यालय संस्था का अध्ययन विभाग अभिप्रेत है;

- (12) "विशिष्ट श्रेणी" से कोई मौजूदा संस्था या कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो शुरू से ही अद्वितीय विषयों में शिक्षण या अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करती है या देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करती है या भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण या पर्यावरण के संरक्षण में लगी हुई है या कौशल विकास के लिए या खेल या भाषाओं या किसी अन्य अनुशासन के लिए समर्पित है। जैसा कि आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया गया है;
- (13) "कार्यकारी परिषद्" से समविश्वविद्यालय संस्था की कार्यकारी परिषद् अभिप्रेत है;
- (14) "विशेषज्ञ समिति" से शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों से युक्त एक समिति अभिप्रेत है और इसमें आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सांविधिक निकायों के प्रतिनिधि भी हैं;
- (15) "सरकार" से उच्चतर शिक्षा से संबंधित केंद्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय का विभाग अभिप्रेत है;
- (16) "संस्था" से स्नातक, स्नातकोत्तर या उच्चतर स्तर पर शिक्षण और अनुसंधान में लगे उच्चतर शिक्षा संस्था अभिप्रेत है;
- (17) "समविश्वविद्यालय संस्था" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग की सलाह पर घोषित उच्चतर शिक्षा संस्था अभिप्रेत है;
- (18) "मुख्य परिसर" से समविश्वविद्यालय संस्था के परिसर अभिप्रेत है जहां इसकी प्रमुख सुविधाएं, संकाय, कर्मचारीगण, छात्र, शैक्षणिक विभाग और प्रशासन स्थित हैं;
- (19) "एनएएसी" से राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् अभिप्रेत है;
- (20) "एनबीए" से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (21) "अनिवार्य अवसंरचना" से यथास्थिति, संबंधित सांविधिक निकाय/आयोग के मानदंडों के अधीन अपेक्षित अवसंरचना अभिप्रेत है;
- (22) "एनइपी" से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 अभिप्रेत है;
- (23) "एनआईआरएफ" से राष्ट्रीय संस्थागत श्रेणीक्रम ढांचा अभिप्रेत है;
- (24) "अधिसूचना" से केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में जारी कोई अधिसूचना अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 3 के अधीन एक उच्चतर शिक्षा संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करता है;
- (25) "ऑफ-कैंपस" से मुख्य परिसर/परिसर से भिन्न सरकार द्वारा अनुमोदित समविश्वविद्यालय संस्था का परिसर अभिप्रेत है;
- (26) "ऑफ-शोर कैम्पस" से सरकार द्वारा अनुमोदित सम विश्वविद्यालय संस्था के परिसर अभिप्रेत है, जो भारत के मुख्य परिसर से भिन्न भारत की सीमा से बाहर है;
- (27) "संसाधन शुल्क" से ऐसा शुल्क अभिप्रेत है जिसे आवेदक संस्थान द्वारा ऐसे आवेदन के संसाधन हेतु आवेदन के साथ आयोग को भुगतान करना होगा;
- (28) "स्कूल/फैकल्टी" से समविश्वविद्यालय संस्था के स्कूल या अध्ययन संकाय अभिप्रेत हैं;
- (29) "प्रायोजक निकाय" से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पूर्ण अथवा लाभ अर्जित न करने वाली सोसाइटी/न्यास कंपनी अभिप्रेत है जो प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा वित्तीय नियंत्रण के अधीन किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए आवेदन करता है;

- (30) “स्थायी समिति” से सांविधिक शिक्षाविदों और अन्य क्षेत्रों के अन्य विशेषज्ञों से मिलकर बनी समिति अभिप्रेत है और इसमें सांविधिक निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे तथा आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होंगे;
- (31) “सांविधिक निकाय” से उच्चतर शिक्षा के सुसंगत क्षेत्रों में गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण और रखरखाव करने के लिए प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित निकाय अभिप्रेत है जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), भारतीय दंत परिषद (डीसीआई), भारतीय परिचर्या परिषद (आईएनसी) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) आदि अथवा संसद के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई अन्य सांविधिक निकाय सम्मिलित है;
- (32) “शिक्षक” से आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य शैक्षणिक कर्मचारी अभिप्रेत हैं जिन्हें समविश्वविद्यालय संस्था में निर्देश देने या शोध करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है जिसमें सहायक संकाय/कार्य करने वाला आचार्य/अतिथि संकाय सम्मिलित है;
- (33) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इस विनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उनका है।

3. समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्य-(1) समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -

- (क) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में उत्कृष्टता और नवाचार की ओर ले जाने वाली उच्चतर शिक्षा प्रदान करना, जो मुख्य रूप से स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध डिग्री स्तरों पर पूरी तरह से विश्वविद्यालय की अवधारणा के अनुरूप हो, जिसे उचित समझा जाए;
- (ख) डोमेन-विशिष्ट विशेषज्ञता के अलावा अंतःविषय या बहु-अनुशासनात्मक या अंतर-अनुशासनात्मक शिक्षण और अनुसंधान में संलग्न हैं;
- (ग) राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के लिए;
- (घ) प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता को संवेदनशील बनाकर प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को मान्यता देना पहचानना और बढ़ावा देना;
- (ङ.) विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल और अन्य विषयों के संकायों में बहु-अनुशासनात्मक और समग्र शिक्षा प्रदान करना;
- (च) समय की अवधि में अनुसंधान और/या शिक्षण गहन विश्वविद्यालयों में बदलने के लिए;
- (छ) स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना; प्रौद्योगिकी विकास केंद्र; अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में केंद्र; अधिक उद्योग-अकादमिक संबंध; और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतःविषय अनुसंधान;
- (ज) लचीला और अभिनव पाठ्यक्रम प्रदान करें, जिसमें सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा, मूल्य-आधारित शिक्षा आदि के क्षेत्रों में क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम और परियोजनाएं शामिल हैं;
- (झ) सामाजिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, सीखने, अनुसंधान और फील्डवर्क के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए योगदान;
- (ञ) एनईपी, 2020 के प्रावधानों को अपनाना; और
- (ट) अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ (आरडीसी) की स्थापना करके पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।

4. किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए पात्रता मानदंड -

(1) समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने वाली संस्थाओं के आवेदनों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड होंगे-

(क) एक बहु-अनुशासनात्मक संस्था (स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत या शोध कार्यक्रमों या इन सभी के संयोजन में कम से कम पांच विभाग हों) या पांच कार्यक्रमों की पेशकश करने वाली संस्थाओं का समूह या एकीकृत या अनुसंधान कार्यक्रम या इन सभी का एक संयोजन):

परंतु संस्थाओं के समूह के मामले में, संस्था या तो एक ही प्रायोजन निकाय से हो सकते हैं या एक अलग प्रायोजन निकाय या निकायों से हो सकते हैं।

परंतु यह और प्रत्येक संस्था इस खंड में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करेगी।

परंतु यह भी कि यदि विभिन्न प्रायोजक निकायों से संबंधित संस्थाओं का समूह सम विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करना चाहता है, तो सभी प्रायोजक निकाय प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय के नाम से एक विशेष प्रायोजक निकाय बनाएंगे और वह प्रायोजक निकाय सम विश्वविद्यालय के लिए आवेदन जमा करें और ऐसे प्रायोजक निकायों की सभी चल और अचल संपत्तियां प्रस्तावित समविश्वविद्यालय के नाम पर कार्यकारी प्रायोजक निकाय को हस्तांतरित की जाएंगी;

(ख) एक संस्था होना -

(i) एनएएसी द्वारा लगातार तीन चक्रों के लिए कम से कम 3.01 संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) के साथ विधिमान्य प्रत्यापन का होना:

परंतु संस्था द्वारा इन तीन चक्रों में से प्रत्येक में समय पर प्रत्यायन या पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो; या

(ii) तकनीकी संस्थाओं के मामले में पात्र तकनीकी कार्यक्रमों का दो-तिहाई लगातार तीन चक्रों के लिए एनबीए द्वारा प्रत्यापन:

परंतु संस्था द्वारा इन तीन चक्रों में से प्रत्येक में समय पर प्रत्यायन या पुनः प्रत्यायन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया हो; या

(iii) लगातार तीन वर्षों तक किसी विशिष्ट श्रेणी में एनआईआरएफ की शीर्ष पचास रैंकिंग में शामिल होना; या

(iv) लगातार तीन वर्षों तक एनआईआरएफ की समग्र रैंकिंग में शीर्ष सौ रैंकिंग में शामिल होना;

(ग) ऐसी शैक्षणिक और भौतिक आधारभूत, जैसा कि आयोग या प्रासंगिक वैधानिक निकाय द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जैसा भी मामला हो;

(घ) आवेदन के समय संस्था में पेशकश किए जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित वैधानिक निकाय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है;

(ङ.) शिक्षक-छात्र अनुपात 1:20 न्यूनतम संयुक्त संकाय शक्ति के साथ कम से कम एक सौ पचास शिक्षक और नियमित कक्षा मोड के अंतर्गत रोल पर तीन हजार की न्यूनतम संयुक्त छात्र संख्या, जिनमें से कम से कम 1/5 पोस्ट ग्रेजुएट या शोध या संबंधित वैधानिक निकाय के मानदंडों के अनुसार होना चाहिए; और

(च) एक प्रशासनिक क्षेत्र, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं हैं।

(2) अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय इन विनियमों के अधीन अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

5. **कायिक (कोर्पस) निधि:** (1) सरकार द्वारा वित्तपोषित न होने वाली संस्था के मामले में पच्चीस करोड़ रुपये की एक कायिक निधि या जैसा आयोग द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया गया हो, समविश्वविद्यालय संस्था के नाम से, जिसमें समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में अधिनियम की धारा 3 के अधीन घोषित विद्यमान संस्था शामिल है, सृजित और बनाए रखा जाएगा।

(2) कायिक निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग केवल समविश्वविद्यालय संस्था के और विकास के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

(3) समविश्वविद्यालय संस्थाएं किसी भी उपयुक्त योजना या योजना में कायिक निधि का निवेश कर सकते हैं।

6. **किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया-** (1) एक संस्था का प्रायोजक निकाय विनियम 4 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में अपनी संस्था की घोषणा करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने हेतु इस उद्देश्य के लिए आयोग की विकसित वेब पोर्टल पर 'ऑनलाइन' आवेदन कर सकता है,

(2) निम्नलिखित दस्तावेज उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे-

(क) संबद्ध कॉलेज के मामले में संबद्ध विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)।

परंतु यदि आवेदक प्रायोजक निकाय द्वारा आवेदन की तिथि से साठ दिनों के भीतर कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि संबद्ध विश्वविद्यालय को अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है और ऐसे मामलों में, अनुरोध की प्राप्ति की पावती दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत की जाएगी;

(ख) शैक्षणिक योजना, संकाय भर्ती योजना, छात्रों के प्रवेश योजना, अनुसंधान योजना, परिसर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना, अवसंरचना विकास योजना, वित्त योजना, प्रशासनिक योजना, शासन योजना आदि के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), जिसमें इसकी पंद्रह वर्ष विस्तृत सामरिक दृष्टि योजना और पांच वर्ष की उत्तरोत्तर (रोलिंग) योजना समाविष्ट है, जिसमें स्पष्ट वार्षिक उपलब्धि के साथ अकादमिक योजना, संकाय भर्ती योजना, छात्रों के प्रवेश योजना, प्रशासनिक योजना, प्रशासन योजना, संचालन योजना आदि को समाविष्ट किया जाएगा और यह निर्धारित किया जाएगा कि विश्वविद्यालय के रूप में माना गया नया संस्थान कैसे स्थापित किया जाएगा/विकसित किया जाएगा, जिसमें संस्थान के साथ शैक्षिक और भौतिक अवसंरचना भी उपलब्ध होगी।

(ग) प्रमुख शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मियों के विवरण के साथ प्रायोजक निकाय का इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ विवरण;

(घ) प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था या प्रायोजक निकाय के नाम पर भूमि स्वामित्व दस्तावेज (कम से कम तीस वर्ष की अवधि के लिए विक्रय विलेख या पट्टा विलेख) और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, के आधिकारिक राजस्व रिकॉर्ड पोर्टल से प्राप्त भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड का विवरण देना होगा;

(ङ) एनएएसी, एनबीए या एनआईआरएफ संबंधी प्रमाणपत्र; जैसा भी मामला हो;

(च) संस्था में वर्तमान में चलाए जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमोदन के अनुसार संबंधित कानूनी निकायों का अनुमोदन;

(छ) मौजूदा शैक्षणिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी;

- (ज) सम विश्वविद्यालय के रूप में प्रस्तावित संस्था की वित्तीय स्थिरता के ब्यौरे के साथ-साथ प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्थान के नाम पर सृजित कायिक निधि का विवरण;
- (झ) इस आशय का एक उपक्रम कि प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय संस्था अधिनियम के सभी उपबंधों, उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों का पालन करेगा; और
- (ञ) ऐसी संस्थाओं के मामले में जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से वित्तपोषित हैं, संबंधित सरकार की ओर से सम विश्वविद्यालय घोषित संस्था के रूप में घोषित होने के पश्चात् भी संस्था को वित्तीय सहायता जारी रखने की प्रतिबद्धता का पत्र;
- (3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियों और आयोग के वेब पोर्टल पर अपलोड की गई प्रतियों का संस्था की वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया जाएगा, जो यथास्थिति संस्था या प्रायोजक निकाय के प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित हो और यदि उचित सत्यापन के पश्चात् कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो इसे अपलोड करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) आयोग, आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच के लिए आवेदन का उल्लेख करेगा और समिति आवेदक को यह प्रदर्शित करने के लिए एक प्रस्तुति देने का निर्देश दे सकेगी कि संस्था इन विनियमों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं। विशेषज्ञ समिति अपने संदर्भ की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी, जिसके आधार पर आयोग सिफारिशें/रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर सरकार को अपनी सलाह देगा।
- (5) केन्द्रीय सरकार, आयोग की सलाह पर विचार करने और मामले के सभी पहलुओं की जांच करने पर, आयोग की सलाह प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर उच्च शिक्षा के एक संस्थान को अधिनियम की धारा 3 के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समविश्वविद्यालय संस्था घोषित कर सकेगी।
- परंतु यदि एक समविश्वविद्यालय के रूप में विचार और घोषणा के प्रस्ताव पर सहमति नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार प्रायोजक निकाय को उसके कारणों के साथ लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगी और केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा:
- परंतु ऐसी संस्था जिसे सीमित अवधि के लिए अधिनियम की धारा 3 के अधीन समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित और अधिसूचित किया गया था, इन विनियमों की अधिसूचना से पहले इन नियमों के अनुसार एक संस्था के रूप में सम विश्वविद्यालय बना रहेगा। उस अवधि के बावजूद जिसके लिए प्रारंभिक अधिसूचना और उसका विस्तार, यदि कोई हो, सरकार द्वारा जारी किया गया था। ऐसी संस्थाओं के लिए सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर जारी रखने के लिए अधिसूचना जारी करेगी।
- परंतु यह भी कि यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, तो प्रायोजक निकाय कमियों को दूर करने के एक वर्ष के पश्चात् नया प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।
- (6) सम विश्वविद्यालयों के रूप में घोषित संस्थाओं के मामले में, विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों जिन्होंने अब तक ऐसी संस्थाओं को संबद्धता प्रदान की थी, क्रेडिट और उन छात्रों के प्रतिलेख स्थानांतरित करेंगे जो उक्त संस्था में नामांकित और अध्ययन कर रहे हैं। विद्यमान छात्र, संबद्ध विश्वविद्यालय या समविश्वविद्यालय से छात्र की पसंद के अनुसार डिग्री प्राप्त कर सकेंगे, नव प्रवेशित छात्रों को ऐसी संस्था से डिग्री प्राप्त होगी जिसे सम विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान की गई है।

7. 'विशिष्ट श्रेणी' के अंतर्गत किसी संस्थान को सम विश्वविद्यालय घोषित करने की प्रक्रिया.- (1) अपने मुख्य परिसर या मुख्य परिसर के लिए एक नए सम विश्वविद्यालय संस्था की स्थापना के लिए इन विनियमों के विनियम 2 के खंड (12) में निर्दिष्ट विषयों में अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित घटक इकाई के लिए आयोग के पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा: -
- (i) किसी परोपकारी उद्देश्य के साथ या समाज के प्रति प्रतिबद्धता के साथ या देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के उद्देश्य से किसी भी प्रायोजक निकायद्वारा ; या
 - (ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा।
- (2) संस्था/संस्थाओं का समूह (चाहे सरकार या स्व-वित्तपोषित) या तो एक ही प्रायोजक निकाय या विभिन्न प्रायोजक निकायों से भी इस श्रेणी के अधीन केवल मुख्य परिसर या मुख्य परिसर और घटक इकाई (इकाइयों) की स्थापना के लिए आवेदन कर सकेंगे, परंतु वे इन विनियमों के विनियम 2 के खंड (12) में परिभाषित विषयों में अध्ययन और शोध करने हेतु समर्पित हों। यदि, विभिन्न प्रायोजक निकायों से संबंधित संस्थाओं का समूह सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करना चाहता है, तो संबंधित प्रायोजक निकाय प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय के नाम पर एक अनन्य प्रायोजक निकाय बनाएंगे और वह प्रायोजक निकाय सम विश्वविद्यालय के दर्जों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा और ऐसी दशा में संपूर्ण चल और अचल संपत्ति उस प्रायोजक निकाय को हस्तांतरित हो जाएगी।
- (3) 'विशिष्ट श्रेणी' के अधीन आने वाली संस्थाओं को इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के उपबंधों के लागू होने से छूट प्राप्त हैं:
- परंतु इस श्रेणी के अधीन प्रस्तावित संस्था भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के मानदंडों के अनुसार कम से कम पांच शैक्षणिक कार्यक्रमों (या तो स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत या अनुसंधान या इन सभी कार्यक्रमों के संयोजन में) के साथ अपना संचालन प्रासंगिक वैधानिक यथास्थिति निकाय या आयोग के मानदंडों के अनुसार प्रारंभ करेगा।
- (4) प्रायोजक निकाय विनियम 6 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों को उक्त उप-विनियम के खंड (ड) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सिवाय, के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (5) आयोग, आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति को जांच के लिए आवेदन का उल्लेख करेगा और समिति आवेदक को यह प्रदर्शित करने के लिए एक प्रस्तुति देने का निर्देश दे सकेगी कि संस्था इन विनियमों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है या नहीं।
- विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट आयोग को उसके संदर्भ की तारीख से 30 दिनों के भीतर सिफारिश के रूप में प्रस्तुत करेगी कि क्या आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जा सकता है या नहीं और क्या उसे बिना किसी अतिरिक्त शर्त के जारी किया जाएगा या नहीं।
- (6) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आयोग सरकार को अपनी सलाह भेजेगा; और उसके पश्चात् सरकार, आयोग की सलाह को ध्यान में रखते हुए, तीस दिनों की एक और अवधि के भीतर, या तो अनुमोदन जारी करेगी या तीन साल की अवधि के लिए वैध आशय पत्र (एलओआई) जारी करेगी या कारण बताते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी।
- असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं या महामारी के कारण, आशय पत्र (एलओआई) की वैधता को आयोग की सलाह पर सरकार द्वारा तीन साल से आगे बढ़ाया जा सकेगा, जो एलओआई की शर्तों को पूरा करने के संबंध में संस्था/संस्थाओं की तैयारियों को ध्यान में रखेगा।

परंतु यह और कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजक निकाय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो प्रायोजक निकाय एक वर्ष के पश्चात् ही नया प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।

(7) प्रायोजक निकाय, आशय पत्र (एलओआई) में निर्दिष्ट अनुपालन शर्तों पर सरकार को तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनुपालन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसे उसके सत्यापन और सलाह के लिए आयोग को भेजा जाएगा और सरकार इन विनियमों के विनियम 6 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी।

8. ऑफ-कैंपस केंद्र-(1) (i) सुसंगत वर्ष में एनआईआरएफ रैंकिंग की "विश्वविद्यालयों" श्रेणी में न्यूनतम 'क' ग्रेड और ऊपर या 1 से 100 तक रैंक वाले सम विश्वविद्यालय संस्था ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए पात्र हैं।

(ii) "विशिष्ट श्रेणी" के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्था अपनी घोषणा के पांच वर्ष के पश्चात् ऑफ-कैंपस के लिए आवेदन कर सकेंगे, यदि वे खंड (i) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं।

(2) सुसंगत वर्ष में एनआईआरएफ रैंकिंग की "विश्वविद्यालयों" श्रेणी में न्यूनतम 'क' ग्रेड और उससे ऊपर या 1 से 100 से तक रैंक तक वाले सम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल के माध्यम से ऑफ-कैंपस केंद्र प्रारंभ करने के लिए अपना आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा कर सकेंगे: -

(i) संबंधित कानूनी निकाय (जहां भी लागू हो) से यथास्थिति ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए अनुमोदन या, ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए आशय पत्र (LoI) जारी करने के लिए।

(3) ऑफ-कैंपस केंद्रों की स्थापना के लिए आयोग के पोर्टल पर इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए, सम विश्वविद्यालय संस्था भी प्रायोजक सोसायटी/ ट्रस्ट/ कंपनी के अधीन किसी संबद्ध कॉलेज को अपने अधीन लेकर संबद्ध कॉलेज को धीरे-धीरे बंद करके और संबद्ध विश्वविद्यालय से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकेगी और संबद्ध विश्वविद्यालय अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर निर्णय ले सकेगा, जिसके विफल होने पर यह मान लिया जाएगा कि संबद्ध विश्वविद्यालय को एक ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा दिए आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है और ऐसे मामलों में, अनुरोध की प्राप्ति की पावती एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत की जाएगी;

(4) सम विश्वविद्यालय संस्था प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्रों पर बुनियादी ढांचा यथास्थिति संबंधित कानूनी निकाय या आयोग द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार होगा और ऑफ-कैंपस केंद्र न्यूनतम पांच स्नातक या स्नातकोत्तर के साथ प्रारम्भ किया जा सकेगा जिसमें कम से कम एक हजार छात्रों के साथ स्नातक या शोध या उनका संयोजन, जिनमें से कम से कम 1/5 छात्र स्नातकोत्तर या शोध छात्रों के साथ पचास शिक्षक तथा बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए।

(5) आयोग के अध्यक्ष एक स्थायी समिति का गठन संस्था द्वारा दी गई जानकारी की जांच करने के लिए कर सकेगा तथा अध्यक्ष, आयोग की ओर से उक्त स्थायी समिति द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर सरकार को भेजेंगे।

(6) सरकार आयोग की सलाह को ध्यान में रखने के पश्चात् ऐसी सलाह की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर यथास्थित ऑफ कैंपस प्रारम्भ करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी या, नया ऑफ कैंपस स्थापित करने के लिए सहमति पत्र जारी करेगी या सहमति नहीं बने तो इसके कारणों को बताते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार करेगी, सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(7) विशेषज्ञ समिति की सलाह के आधार पर, आयोग मामला-दर-मामला आधार पर, सरकार को ऐसे किसी ऑफ-कैंपस के अनुमोदन पर विचार करने के लिए अपनी सलाह देगा जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने से पहले संचालित था और पास-आउट छात्रों के प्रत्येक कार्यक्रम की डिग्री को मान्य करेगा, यदि वे ऑफ-कैंपस केंद्र प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित बुनियादी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

- (8) यदि किसी भी समय, आवेदक सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो सरकार ऑफ-कैम्पस केंद्र प्रारम्भ करने के लिए अनुमोदन वापस ले सकती है; और ऐसे केंद्र में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था छात्रों को मुख्य परिसर में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
- (9) सम विश्वविद्यालय अपने विद्यमान परिसर में और अनुमोदित ऑफ कैम्पस केन्द्रों में इसकी कार्यकारी परिषद के पूर्व अनुमोदन से और जहाँ कहीं लागू हो, सुसंगत कानूनी निकायों के अनुमोदन से, किसी भी क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रारम्भ कर सकेंगे।
- परन्तु सम विश्वविद्यालय संस्था को यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से अनुरक्षण के लिए सहायता अनुदान या अन्य निधियां प्राप्त हो रही हों, तो समुचित सरकार का पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित होगा।

9. ऑफ-शोर-कैम्पस- (1) सम विश्वविद्यालय संस्था अधिनियम के उपबंधों, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऑफ शोर कैम्पस प्रारम्भ या स्थापित कर सकेंगे।

(2) विद्यमान ऑफ-शोर-कैम्पस कार्य करते रहेंगे यदि उन्होंने उचित अनुमति और अग्रिम अनुमोदन प्राप्त किया हो।

10. निगरानी.—(1) आयोग, सम विश्वविद्यालय संस्थाओं वार्षिक रूप से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, प्रत्येक पांच वर्ष के अपश्चात्, एनएएसी द्वारा 'क' श्रेणी से न्यून विधिमान्य प्रत्यायन रखने वाले या एनआईआरएफ रैंकिंग (विश्वविद्यालय श्रेणी) में 100 से अधिक रैंक वाली सम विश्वविद्यालय संस्थाओं के प्रदर्शन या शैक्षणिक परिणामों की निगरानी करेगा।

- (2) एनएसीसी द्वारा 'क' श्रेणी से न्यून विधिमान्य प्रत्यायन रखने वाले या एनआईआरएफ रैंकिंग (विश्वविद्यालय श्रेणी) में 100 रैंक से अधिक रैंक वाली सम विश्वविद्यालय संस्थाओं का प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ द्वारा भौतिक या आभासी रूप से किया जाएगा। समिति, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया गया है, इस तरह के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, ऐसी प्रक्रिया अपना सकती है जो वह उचित समझे।
- (3) विशेषज्ञ समिति, सम विश्वविद्यालय संस्था के प्रदर्शन और शैक्षणिक परिणामों पर अपनी सिफारिशों को निर्दिष्ट करते हुए आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा जिन सम विश्वविद्यालयों में कुछ पहलुओं में कमी पाई जाती है, उन्हें कमियों को दूर करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि दी जाएगी, जिसके विफल होने पर, विशेषज्ञ समिति विनियम 8 के उप-विनियम (9) के अधीन सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा किसी भी क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनुमति को वापस लेने की सिफारिश करेगी।
- (4) ऐसे मामलों में जहां विशेषज्ञ समिति ने उप-विनियम (3) के अधीन अनुमति वापस लेने की सिफारिश की है, आयोग संबंधित समविश्वविद्यालय संस्था और संबंधित कानूनी निकाय को सूचित करते हुए उचित आदेश जारी करेगा और यदि आयोग पाता है कि सम विश्वविद्यालय संस्था उसके आदेश का पालन नहीं कर रही है, तो आयोग विनियम 34 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा।
- (5) आयोग सम विश्वविद्यालय संस्था के प्रत्यक्ष सत्यापन पर निर्णय लेगा, या ऐसे सत्यापन के लिए टीमों का गठन स्वयं या आयोग को प्रस्तुत की गई जानकारी की सटीकता और सत्यता और संस्था की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होने पर करेगा।

11. शासन — (1) प्रस्तावित या विद्यमान समविश्वविद्यालय संस्था को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन गैर-लाभकारी संस्था के रूप में या गैर-लाभकारी ट्रस्ट के अधीन रजिस्टर किया जाएगा। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 (1882 का 2) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

परन्तु शैक्षिक संस्थानों को चलाने के लिए अनन्यतः स्थापित एक प्रायोजक निकाय को सम विश्वविद्यालय के लिए एक अलग गैर-लाभकारी सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण से छूट दी जाएगी। प्रायोजक निकाय अपने रजिस्ट्रीकरण विलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि प्रायोजक निकाय अनन्यतः से शैक्षिक गतिविधियों को चलाने के लिए है और इसके अधीन कोई अन्य गतिविधियाँ नहीं की जा रही हैं या, ना ही भविष्य में की जाएँगी।

परन्तु यह भी कि यदि सम विश्वविद्यालय के विद्यमान संस्था के प्रायोजक निकाय के पास अनन्यतः शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए कोई सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी नहीं है, तो यह सम विश्वविद्यालय के लिए एक नई गैर-लाभकारी सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी का गठन करेगा। ऐसे मामलों में, प्रायोजक निकाय को अपनी चल और अचल संपत्तियों को नव निर्मित सोसायटी या ट्रस्ट या कंपनी को स्थानांतरित करने से छूट दी जाएगी, यदि ऐसा प्रायोजक निकाय इस आशय का एक नोटरीकृत शपथ पत्र प्रदान करता है कि, संपूर्ण चल और अचल संपत्ति सम संस्था को आवंटित की गई है। सम विश्वविद्यालय होने के लिए आयोग की पूर्व अनुमति के बिना पट्टे पर नहीं दिया जाएगा या अन्यथा निपटाया नहीं जाएगा।

परन्तु यह भी कि प्रायोजक निकाय समविश्वविद्यालय संस्था के संचालन के लिए बिना किसी किराये या अन्य प्रभार के बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा।

- (2) सम विश्वविद्यालय संस्था की सभी चल और अचल संपत्तियों का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों के संचालन, अनुसंधान को बढ़ावा देने और सम विश्वविद्यालय संस्था की संबंधित प्रशासनिक अपेक्षाओं के प्रयोजन से किया जाएगा, जिसमें आउटरीच शैक्षिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।
- (3) सम विश्वविद्यालय संस्था का सर्वोच्च शासी निकाय कुलपति की अध्यक्षता वाली कार्यकारी परिषद् होगी, जिसमें कम से कम 10 सदस्य और 13 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
- (4) कार्यकारी परिषद् समविश्वविद्यालय संस्था की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी।
- (5) कार्यकारी परिषद् की संरचना निम्नानुसार होगी:-
 - क. कुलपति - अध्यक्ष;
 - ख. प्रतिकुलपति (जहां भी लागू हो),
 - ग. अध्ययन विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों में से दो सदस्य बारी-बारी से कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;
 - घ. एक आचार्य, जो डीन नहीं है, क्रमावर्ती से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
 - ङ. कुलपति द्वारा क्रमावर्ती से नियुक्त किया जाने वाला एक सह-आचार्य;
 - च. कुलपति द्वारा क्रमावर्ती से नियुक्त किया जाने वाला एक सहायक-आचार्य;
 - छ. सम विश्वविद्यालय के मामले में, जो केंद्रीय/राज्य सरकार से उनकी वार्षिक प्राप्ति के 50% से अधिक या बराबर धन प्राप्त करता है, संबंधित सरकार एक अधिकारी को नामित करेगी, जो भारत सरकार या उसके प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त सचिव के रैंक से कम का न हो। अन्य सभी सम विश्वविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कार्यालय से एक प्रतिनिधि नामित करेगा।
 - ज. प्रायोजक निकाय के नामांकित व्यक्ति, संख्या में चार से अधिक नहीं हो;
 - झ. कुलसचिव, जो कार्यकारी परिषद् के पदेन सचिव होंगे।

12. कार्यकारी परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल. - (1) कार्यकारी परिषद् के सभी सदस्य, कुलपति और प्रति-कुलपति के अतिरिक्त, तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और संकायाध्यक्ष के मामले में, कार्यकाल तीन साल या उनके पद पर रहने तक, जो भी पहले हो, होगा।

- (2) आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य श्रेणी से कुलपति द्वारा नियुक्त कार्यकारी परिषद् के सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं रह जाते, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

13. कार्यकारी परिषद् की शक्तियां और सीमाएं - (1) कार्यकारी परिषद् के पास समविश्वविद्यालय संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन की शक्ति होगी।

- (2) शैक्षणिक, प्रशासनिक, कार्मिक, वित्तीय और विकासात्मक मामलों सहित समविश्वविद्यालय संस्थान के प्रत्येक मामले के संबंध में कार्यकारी परिषद् समविश्वविद्यालय संस्थान का अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय होगा।
- (3) समविश्वविद्यालय संस्थान के इन विनियमों और नियमों के प्रावधानों के अधीन कार्यकारी परिषद् को इसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

- क. इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर अचार्यों, सह अचार्यों, सहायक अचार्यों और पीठों सहित अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उसमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;
- ख. नियमों के अनुसार संस्थान के कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करने के लिए;
- ग. अतिथि अचार्यों, एमेरिटस अचार्यों, प्रैक्टिस के आचार्य, सलाहकारों, विद्वानों आदि की नियुक्ति के लिए प्रावधान करना और ऐसी नियुक्तियों के नियमों और शर्तों को निर्धारित करना;
- घ. ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो सम विश्वविद्यालय संस्थान के इन नियमों और विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जा सकते हैं;
- ङ. सम विश्वविद्यालय संस्थान के लिए नियम और विनियम बनाना; और
- च. यदि संस्थान केन्द्रीय/राज्य सरकार से नियंत्रित या प्रबंधित है या केन्द्रीय या राज्य सरकार से उनकी वार्षिक प्राप्ति के आधार पर पचास प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर धन प्राप्त कर रही है, तो पदों का सृजन कार्यकारी परिषद् द्वारा संबंधित सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा, जिससे अनुदान जारी किया जा रहा है।

14. कार्यकारी परिषद् की बैठकें — (1) कार्यकारी परिषद् वर्ष में कम से कम चार बार (एक सेमेस्टर में न्यूनतम दो बार) बैठक करेगी, जिसमें कार्यकारी परिषद् की प्रत्येक बैठक से पहले कम से कम 07 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। अल्प सूचना देकर आपात बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसी आपातकालीन बैठक के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

- (2) कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई सदस्य बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।
- (3) कुलपति की अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति बैठक की अध्यक्षता करेंगे; और जहां सम विश्वविद्यालय संस्थान में कोई प्रतिकुलपति नहीं हो, वहां बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (4) कार्यकारी परिषद् के प्रत्येक सदस्य, इसके अध्यक्ष सहित, के पास एक वोट होगा और कार्यकारी परिषद् की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे; और मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।
- (5) कोई भी कार्य, जो अनिवार्य रूप से किया जाना हो, उसके सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा किया जा सकता है।
- (6) प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति बैठक के बाद यथाशीघ्र सम विश्वविद्यालय संस्थान के कुलाधिपति को उपलब्ध कराई जाएगी।

15. सदस्यता की समाप्ति - यदि कुलपति और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्यगण, सम विश्वविद्यालय संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करते हैं अथवा उचित रूप से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्राप्त किए कार्यकारी परिषद् की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो वे कार्यकारी परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।

16. कार्यकारी परिषद् की शक्तियों का प्रत्यायोजन.- कार्यकारी परिषद्, एक संकल्प द्वारा, कुलपति या किसी अन्य अधिकारी/संकाय या समविश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान के अधिकारियों/संकाय की समिति को ऐसी शक्तियाँ सौंप सकती है, जो वह उचित समझे, इस शर्त के अधीन कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में कुलपति या अधिकारी/संकाय, या समिति द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट कार्यकारी परिषद् की आगामी बैठक में दी जाएगी।

17. समविश्वविद्यालय संस्था के अन्य प्राधिकरण—

क. शिक्षा परिषद्: (1) शिक्षा परिषद्, सम विश्वविद्यालय संस्थान का मूल शैक्षणिक निकाय होगा तथा जो विश्वविद्यालय माना जाता है और, विश्वविद्यालय, समन्वय और संस्थान की शैक्षणिक नीति पर सामान्य पर्यवेक्षण का उपयोग करने वाले संस्थान के नियमों के उपबंध के अधीन होगा।

(2) शिक्षा परिषद् की संरचना निम्नानुसार होगी:

क. कुलपति - अध्यक्ष;

ख. प्रति कुलपति (जहां भी लागू हो);

ग. स्कूलों के संकायों के संकायाध्यक्ष और विभागों या केंद्रों के प्रमुख;

घ. विभिन्न स्कूलों, विभागों या केंद्रों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए कुलपति द्वारा क्रमावर्ति से दस अचार्यों (स्कूलों के संकायाध्यक्ष और विभागों/केंद्रों के प्रमुखों को छोड़कर) को नियुक्त किया जाएगा;

ङ. विभागों या केंद्रों के प्रमुखों के अतिरिक्त अन्य विभागों या केंद्रों से पांच सह- आचार्य तक, कुलपति द्वारा क्रमावर्ति से नियुक्त किया जाएगा;

च. विभागों या केंद्रों के प्रमुखों के अतिरिक्त अन्य विभागों/केंद्रों से कुलपति द्वारा क्रमावर्ति से पांच सहायक अचार्यों की नियुक्ति की जाएगी।

छ. ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान में क्रियाकलापों के क्षेत्र से जुड़े किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित छह व्यक्ति, जो कि सम विश्वविद्यालय संस्थान में सेवारत नहीं हो, जिन्हें कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

ज. कुल सचिव, जो शैक्षणिक परिषद् का पदेन सचिव होगा।

(3) अलग-अलग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व चयन द्वारा नहीं बल्कि क्रमावर्ति तरीके से ही होगा। पदेन सदस्यगणों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा। शिक्षा परिषद् की बैठकों में परीक्षा नियंत्रक स्थायी आमंत्रिती होगा।

ख. शैक्षणिक परिषद् की शक्तियाँ और कार्य: सम विश्वविद्यालय संस्थान के इन विनियमों और नियमों के प्रावधानों के अधीन, शैक्षणिक परिषद् को इसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

क. सम विश्वविद्यालय संस्थान की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और निर्देश देने के तरीकों, विभागों या संकाय या स्कूल या केंद्रों के बीच शिक्षण का समन्वय, अनुसंधान के मूल्यांकन और शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;

ख. अंतर-विभागीय, अंतर-संकाय, अंतर-विद्यालय, विद्यालय, अंतर-केंद्र समन्वय लाने और बढ़ावा देने के लिए और ऐसी समितियों या बोर्डों को स्थापित करने या नियुक्त करने के लिए जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं;

ग. सामान्य अकादमिक हित के मामलों पर विचार करने के लिए या तो स्वयं की पहल पर, या किसी विभाग या संकाय या स्कूल या केंद्र या कार्यकारी परिषद् द्वारा एक संदर्भ पर, और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए;

- घ. सम विश्वविद्यालय संस्थान के डिग्री और डिप्लोमा के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम या कार्यक्रम निर्धारित करना;
- ङ. नियमों या उपनियमों के अनुरूप परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना;
- च. परीक्षाओं के उचित मानकों को बनाए रखने के लिए;
- छ. विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के डिप्लोमा और डिग्री को मान्यता देना और समविश्वविद्यालय संस्थान के डिप्लोमा और डिग्री के साथ समानता निर्धारित करना;
- ज. अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कार आदि स्थापित करना;
- झ. विश्वविद्यालय के रूप में संस्थान के शैक्षणिक कामकाज, प्रवेश, परीक्षा, अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति, फीस माफी, रियायतें, उपस्थिति, अनुशासन, निवासआदि के नियमों को तैयार करना;
- ञ. विभागों/केंद्रों की गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा करना और निर्देश के मानकों को बनाए रखने और सुधारने के लिए उचित कार्रवाई करना;
- ट. कार्यकारी परिषद् को शिक्षण पदों (आचार्यों, सह आचार्यों और सहायक आचार्यों) की संस्था की सिफारिश करने के लिए;
- ठ. विभागों या केंद्रों या स्कूलों या संकाय आदि की स्थापना या समाप्ति के लिए कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना।
- ड. कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करना; और
- ढ. ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो नियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जा सकते हैं।
- ग. **शैक्षणिक परिषद् की बैठक.**—(1) शैक्षणिक परिषद् एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान जितनी बार आवश्यक हो, लेकिन कम से कम चार बार (एक सेमेस्टर में कम से कम दो बार) बैठक करेगी, जिसमें शैक्षणिक परिषद् की प्रत्येक बैठक से पहले कम से कम सात दिनों की सूचना दी जाएगी। अल्प सूचना देकर आपात बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसी आपातकालीन बैठक के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
- (2) शैक्षणिक परिषद् की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई सदस्य शैक्षणिक परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।
- (3) प्रत्येक सदस्य, इसके अध्यक्ष सहित, के पास एक मत होगा और शैक्षणिक परिषद् की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे; और बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
- (4) शिक्षा परिषद् द्वारा अनिवार्य रूप से निष्पादित किया जाने वाला कोई भी कार्य, जो अत्यावश्यक हो सकता है, को संकल्प परिचालित कर निष्पादित किया जा सकता है।

18. वित्त समिति—(1) वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

- क. कुलपति - अध्यक्ष;
- ख. प्रति कुलपति (जहाँ लागू हो);
- ग. सोसाइटी या न्यास या कंपनी द्वारा नामित एक व्यक्ति, जैसा भी मामला हो (जहाँ भी लागू हो);
- घ. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक कार्यकारी परिषद् का सदस्य होगा;

- ड. केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो या भारत सरकार में उसका प्रतिनिधि, यदि संस्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित है या अपने कुल निधि के पचास प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर निधि प्राप्त कर रहा है। केन्द्रीय सरकार से सीधे या उसकी एजेंसियों के माध्यम से वार्षिक प्राप्ति; और अन्य सभी सम विश्वविद्यालयों में आयोग एक प्रतिनिधि को नामित करेगा;
- च. कुलाधिपति द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति;
- छ. वित्त अधिकारी-सचिव – पदेन
- (2) यदि सम विश्वविद्यालय संस्थान राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित या वित्तपोषित है, तो ऐसी सरकार का प्रतिनिधि।
- (3) पदेन सदस्य के अतिरिक्त वित्त समिति के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे
- (4) वित्त समिति खातों की जांच करने और व्यय के प्रस्तावों की जांच करने के लिए वर्ष में कम से कम चार बार (प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम दो बार) बैठक करेगी और वित्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।
- (5) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्तावों और उन मदों को, जिन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया है, कार्यकारी परिषद् द्वारा उन पर विचार करने से पहले वित्त समिति द्वारा जांच की जाएगी तथा शुल्क में छूट, छात्रवृत्ति की स्थापना, फीस माफी और किसी भी अन्य वित्तीय लाभ का निर्णय लेना।
- (6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार समविश्वविद्यालय के वार्षिक खातों और वित्तीय अनुमानों को विचार और टिप्पणियों के लिए वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद कार्यकारी परिषद् को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- (7) वित्त समिति समविश्वविद्यालय संस्था की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष के लिए कुल आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी
- 19. अध्ययन बोर्ड:** (1) समविश्वविद्यालय संस्थान के प्रत्येक विभाग/विद्यालय के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा। अध्ययन बोर्ड की संरचना निम्नवत् होगी:

क. विद्यालय के संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष;

ख. विद्यालय - विभाग के सभी आचार्य;

ग. क्रमावर्ती द्वारा विद्यालय / विभाग के दो सह आचार्य;

घ. क्रमावर्ती द्वारा विद्यालय / विभाग के दो सहायक आचार्य;

ड. दो बाहरी विशेषज्ञों को उनके विशेष ज्ञान के लिए सहयोजित किया जाएगा।

- (2) शैक्षणिक परिषद् के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन, अध्ययन बोर्ड के कार्य विभिन्न उपाधि और अनुसंधान उपाधि की अन्य आवश्यकताओं के अनुसंधान के लिए विषयों को अनुमोदित करना और नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से संबंधित स्कूल बोर्ड को सिफारिश करना, जैसा की संस्थान के विनियम में संदर्भित होगा: -
- (क) अध्ययन के पाठ्यक्रम
- (ख) अनुसंधान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और
- (ग) शिक्षण और अनुसंधान के मानकों में सुधार के उपाय

- (3) अध्ययन बोर्ड की शक्तियां और कार्य विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थान के नियमों द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

20. अध्यापन स्टाफ की नियुक्ति हेतु चयन समिति:

जैसा निहित किया जाए आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए (न्यूनतम योग्यताओं पर) कार्यकारी परिषद् को सिफारिशें करने के लिए एक या एक से अधिक चयन समितियां गठित की जाएंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम, 2018 किया जाता है।

- 21. अयोग्यता-** (1) एक व्यक्ति को किसी भी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, या संस्थान के रूप में सम विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यदि:

(क) यदि वह विकृत चित्त है; या

(ख) यदि वह एक अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) यदि उसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो और उसके संबंध में कम से कम छह महीने के कारावास का सजा सुनाई गयी हो; या

(घ) यदि उसे इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया है।

- (2) यदि कोई प्रश्न उठता है की क्या कोई व्यक्ति उपरोक्त उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है या नहीं, तो प्रश्न कुलाधिपति को भेजा जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा और ऐसे फैसले के खिलाफ कोई भी मुकदमा या अन्य कार्यवाही किसी भी सिविल कोर्ट में नहीं होगी।

22. विभिन्न प्राधिकरणों से संबंधित मामले-(1) यदि कोई प्रश्न उठता है की क्या सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किये गए व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को विधिवत् नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किया गया है या नहीं, जो सम विश्वविद्यालय संस्थान के किसी प्राधिकरण या संस्थान की किसी समिति का सदस्य होने के लिए हकदार है, तो मामले को कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- (2) किसी भी प्राधिकरण के पदेन सदस्य को छोड़कर कोई भी सदस्य कुलसचिव को सम्बोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है और यथास्थिति कुलाधिपति या कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकारते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा।

- (3) सम विश्वविद्यालय की संस्था की किसी समिति के या किसी प्राधिकरण के सदस्य के बीच अचानक रिक्तियों को संबंधित प्राधिकरण द्वारा, जितनी जल्दी हो सके, और छह महीने की अवधि के भीतर भर दिया जाएगा।

23. समविश्वविद्यालय संस्थान के अधिकारीगण-

(क) कुलाधिपति-

- (1) कुलाधिपति पहली बार पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, और कुलाधिपति की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परन्तु केंद्रीय/ राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से उनकी वार्षिक प्राप्ति के पचास प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर धन प्राप्त करने वाले सम विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति की नियुक्ति संबंधित सरकार द्वारा की जायेगी और अन्य समविश्वविद्यालयों के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा की जायेगी।

- (2) कुलाधिपति, अपने कार्यालय के आधार पर, सम विश्वविद्यालय संस्थान के प्रमुख होंगे और यदि उपस्थित हों, तो उपाधि प्रदान करने के लिए आयोजित सम विश्वविद्यालय संस्थान के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (3) सरकार के मामले में उनकी वार्षिक प्राप्ति के पचास प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर नियंत्रित प्रबंधित प्राप्त करने वाले कुलाधिपति को उपयुक्त सरकार के उद्देश के बिना कार्यालय से नहीं हटाया जाएगा।

(ख) कुलपति-(1) कुलपति सम विश्वविद्यालय संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और उसके खोज-सह-चयन समिति द्वारा सुझाये गए तीन नामों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलपति की योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय), विनियम 2018, के अनुसार होगी।

(3) कुलपति के चयन के लिए खोज-सह-चयन-समिति (एससीएससी) की प्रक्रिया/संरचना निम्नानुसार होगी:

क. ऐसे समविश्वविद्यालय जो राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में हो अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या इसकी एजेंसियों से उनकी वार्षिक प्राप्ति के पचास प्रतिशत से अधिक या बराबर की राशि प्राप्त करता हो, के कुलपति राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ख. अन्य सम विश्वविद्यालयों संस्थानों की दशा में, खोज सह चयन समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

- (i) कुलाधिपति का एक नामित व्यक्ति, जो एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद हो, समिति का अध्यक्ष होगा।
- (ii) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति; और
- (iii) कार्यकारी परिषद द्वारा नामित आचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष की सेवा के साथ एक शिक्षाविद;

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5(पांच) वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह 70 (सत्तर) वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ले, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा तथा कुलपति की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

परन्तु, उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति होते हुए भी, वह तब तक पद पर बना/बनी रहेगा/रहेगी जब तक कि उसके उत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती है और वह अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता/लेती है, तथापि, किसी भी स्थिति में कुलपति की आयु 70 (सत्तर वर्ष) से अधिक होने पर पदाधारण नहीं करेगा/करेगी।

परन्तु यह और कि कुलाधिपति, कुलपति को, उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात ऐसी, अवधि के लिए पद पर बने रहने के लिए निदेश दे सकेगा, जो एक वर्ष की कुल अवधि से अधिक नहीं होगी।

(5) यदि कुलपति का पद उसकी मृत्यु पदत्याग या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाता है, या यदि वह खराब स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो प्रति-कुलपति उसके स्थान पर कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा;

परन्तु यदि प्रति-कुलपति अनुपलब्ध है, तो कुलाधिपति वरिष्ठतम आचार्य को नियुक्त करेगा, जो कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक कि यथास्थिति कोई नया कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है या विद्यमान कुलपति अपने पद का कार्यभार संभाल नहीं लेता है।

परन्तु यह और कि, ऐसे सम विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रण या प्रबंधन में हो अथवा उनकी वार्षिक प्राप्ति के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक या बराबर कि निधि प्राप्त करता हो, यदि प्रति कुलपति अनुपलब्ध है, तो सरकार वरिष्ठतम आचार्य या किसी अन्य प्रतिष्ठित शिक्षाविद को आरंभ में छह महीने

की अवधि के लिए या नए कुलपति के पद ग्रहण करने तक या विद्यमान कुलपति के अपने कार्यालय के कर्तव्यों को पुनः ग्रहण करने तक, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगी।

ग. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य. (1) कुलपति सम विश्वविद्यालयसंस्थान के प्रधान कार्यकारी अधिकारी और शैक्षणिक अधिकारी होंगे और सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का करेंगे और सम विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(2) कुलपति, यदि उसके विचार से किसी मामले में तुरंत कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता हो तो सम विश्वविद्यालय संस्थान के विनियमों द्वारा या उनके अधीन हो संस्थान के किसी प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा कर सकेगा तथा ऐसे मामले पर उसके द्वारा की गई कार्यवाही के ऐसे में संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट देगा:

परन्तु इस विनियम में वर्णित प्राधिकरण की यह राय हो, कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को भेजेगा, जिसका तत्संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा;

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति जो कि सम विश्वविद्यालय संस्थान में सेवारत हो तथा इस विनियम के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो उसे ऐसी कार्यवाही पर विनिश्चय के बारे में संसूचित की गई तिथि से ९० (नब्बे) दिनों के भीतर ऐसे निर्णय के संबंध में कार्यकारी परिषद के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा तथा कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित कर सकेगी अथवा उलट सकेगी।

(2) कुलपति, यदि उनकी राय है कि सम विश्वविद्यालय संस्थान के किसी प्राधिकरण का कोई विनिश्चयों इन विनियमों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की शक्ति से परे है या सम विश्वविद्यालय संस्थान के हित में, नहीं है, संबंधित प्राधिकारी को इस के साठ दिनों के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकता है और यदि प्राधिकरण विनिश्चय का पूरी तरह से या आंशिक रूप से पुनर्विलोकन करने से इनकार करता है या उसके द्वारा साठ दिनों के भीतर कोई विनिश्चय नहीं लिया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(4) कुलपति कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में छात्रों को उपाधि प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(5) कुलपति सम विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और संबोधित करने का हकदार होगा, लेकिन जब तक वह ऐसे संस्थान या निकाय का सदस्य नहीं है, तब तक उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(6) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इन विनियमों का सम्यक रूप से पालन और कार्यान्वयन किया जा रहा है और उसे अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।

(7) कुलपति के पास सम विश्वविद्यालय संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ होंगी, और वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई भी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(8) कुलपति के पास कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति और अन्य प्राधिकरणों की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

घ. कुलपति को हटाना

(1) यदि ऐसा विश्वास करने के समुचित कारण हों कि सम विश्वविद्यालय संस्थान के कुलपति के पास इन विनियमों में यथा-अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं और साथ ही साथ समय-समय पर यथा-संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक कर्मचारी वृद्धों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम

अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रखरखाव करने हेतु उपाय) विनियम, 2018 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया हो अथवा उन्होंने कोई वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताएं की हों, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष इस मामले की जांच करने के लिए शैक्षणिक, प्रशासनिक अथवा वित्तीय विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा।

- (2) आयोग के निदेश पर, कुलाधिपति कुलपति को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर सकेगा।
- (3) जांच समिति आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले कुलपति को सुनवाई का अवसर देगी और जहां जांच समिति की रिपोर्ट में यथास्थिति अपात्रता, या प्रतिक्रियात्मक उल्लंघन, या अनुपयुक्तता, निदेश की पुष्टि होती है, आयोग कुलाधिपति को उचित प्रक्रिया का पालन करके कुलपति को हटाने का निदेश देगा।

परन्तु, ऐसे सम विश्वविद्यालय जो केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रण में हो अथवा उनकी वार्षिक प्राप्ति के पचास प्रतिशत से अधिक या बराबर निधि प्राप्त करता हो, संबंधित सरकार एक जांच समिति का गठन करेगी जो सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले कुलपति को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी, अंतरिम अवधि में सरकार कुलपति को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर देगी और कुलपति को संबंधित सरकार द्वारा ही हटाया जाएगा।

- (4) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति, कुलपति के पदग्रहण करने के पश्चात किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा कुलपति को अक्षमता, कदाचार या इन विनियमों का उल्लंघन करने पर हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं देगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति, ऐसा आदेश देने से पहले किसी भी समय कुलपति को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर सकेगा।

- (5) ऐसे सम विश्वविद्यालय जो केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रण में हों अथवा उनसे या उनके अभिकरणों से उनकी वार्षिक प्राप्ति के 50 % (पचास प्रतिशत) से अधिक या बराबर निधि प्राप्त करता हो, उप-विनियम (1) से (4) में निर्दिष्ट कार्यवाइयों को समुचित सरकार का अनुमोदन प्राप्त होगा।

ड. प्रति कुलपति (1) कुलपति की सिफारिश पर, कार्यकारी परिषद एक आचार्य को प्रति आचार्य के रूप में उसके कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रति कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करेगी।

ऐसे सम विश्वविद्यालय जो सरकार के नियंत्रण या प्रबंधन में हो अथवा उनकी वार्षिक प्राप्ति के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक या बराबर निधि प्राप्त करता हो, कुलपति, प्रतिकुलपति की नियुक्ति से पूर्व समुचित सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा:

परन्तु, यह और की जहां कुलपति की सिफारिश कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जो या तो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए आचार्य को नियुक्त कर सकेगा या कुलपति से दूसरे आचार्य के नाम को कार्यकारी परिषद द्वारा पुनः विचार की सिफारिश करने के लिए कह सकेगा।

- (2) प्रतिकुलपति के पद की अवधि ऐसी होगी जो कार्यकारी परिषद द्वारा विनश्चित की जाए किन्तु यह किसी भी मामले में पांच वर्ष से अधिक या कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति से अधिक नहीं होगी, जो भी पहले हो:

परन्तु, प्रतिकुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो चुकी है, प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः नियुक्ति का पत्र होगा।

परन्तु, यह और कि प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, प्रतिकुलपति के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के होते हुए भी, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि यथास्थिति, कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक नया कुलपति पद ग्रहण करता है।

परन्तु, यह भी कि, किसी भी दशा में प्रतिकुलपति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा;

- (3) प्रतिकुलपति के पास समविश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा विहित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे।
- (4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जो समय-समय पर कुलपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपा या प्रत्यायोजित किया जाए।

च कुलसचिव (1) (क) कुल सचिव, सम विश्वविद्यालय संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और चयन समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- i. कुलपति – अध्यक्ष
- ii. कुलाधिपति का एक नामिती ;
- iii. इसके द्वारा नामित कार्यकारी परिषद के दो सदस्य; और
- iv. कार्यकारी परिषद द्वारा नामित एक विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है।

(ख) चयन समिति की बैठक कुलाधिपति के नामिती और कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विशेषज्ञों की सुविधा एवं उनसे परामर्श पूर्व तय की जाएगी और चयन समिति की कार्यवाही तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि कुलाधिपति के नामितों या कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्तियों में से कम से कम तीन ने बैठक में भाग नहीं लिया हो।

- (2) कुल सचिव पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और कुल सचिव के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु, कुल सचिव कुल सचिव बासठ वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होगा तथा परिलब्धियाँ और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें संस्थान समविश्वविद्यालय के नियमों द्वारा विहित की जाएंगी।

- (3) जब कुल सचिव का पद रिक्त होता है या जब कुल सचिव रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो कुल सचिव के कर्तव्यों का पालन किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।
- (4) कुल सचिव कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद का पदेन सचिव होगा, लेकिन उसे इनमें से किसी भी प्राधिकरणों का सदस्य नहीं समझा जाएगा।
- (5) कुल सचिव प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा और उनके निर्देश के अंतर्गत कार्य करेगा।
- (6) कुल सचिव के पास शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के अतिरिक्त, जैसा कि कार्यकारी परिषद के आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और जांच लंबित रहने तक

उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की शक्ति अधिरोपित करने या उनकी वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति होगी;

परन्तु ऐसी किसी शक्ति को तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में कारण बताने का समुचित अवसर न दिया गया हो।

- (7) कुल सचिव के उपविनियम (6) के किसी भी शक्ति को अधिरोपित करने वाले किसी भी आदेश के विरुद्ध कुलपति से अपील की जा सकेगी।
- (8) ऐसे मामले में जहां जांच से यह प्रकट होता है कि कुल सचिव की शक्ति से परे दंड की मांग की गई है, कुल सचिव, जांच के समापन पर, अपनी सिफारिशों के साथ कुलपति को एक रिपोर्ट सौंपेगा;
- परन्तु कुलपति के किसी भी शक्ति को अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध कार्यकारी परिषद में अपील की जा सकेगी।
- (9) कुल सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह:-
- (क) सम-विश्वविद्यालय संस्था के अभिलेखों, सामान्य मुहर और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा, जैसा कि कार्यकारी परिषद उसके प्रभार के प्रति वचनबद्ध हो;
- (ख) कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों की बैठकें बुलाने के लिए सभी नोटिस जारी करेगा;
- (ग) कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों की सभी बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा;
- (घ) कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद के बीच आधिकारिक पत्राचार करेगा;
- (ङ) सम-विश्वविद्यालय संस्थान के प्राधिकारियों की बैठकों का कार्यवृत्त और उन बैठकों की कार्यसूची की प्रतियां जारी होते ही कुलाधिपति को उपलब्ध कराएगा;
- (च) विश्वविद्यालय की ओर से या उसके विरुद्ध मुकदमे या कार्यवाहियों को लेकर सम विश्वविद्यालय संस्थान का प्रतिनिधित्व करना, अधिकार पत्र हस्ताक्षर करना तथा याचिकाओं का सत्यापन करना या इस प्रयोजन हेतु अपना/अपनी प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त करेगा;
- (छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो यथास्थिति समविश्वविद्यालय संस्थान के नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो समय-समय पर कार्यकारी परिषद या कुलपति द्वारा अपेक्षित हों;
- (ज) समविश्वविद्यालय संस्थान की ओर से करार करना, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा और अभिलेख का अधिप्रमाणन करेगा;
- (झ) समविश्वविद्यालय संस्थान के भवनों, उद्यानों, कार्यालय, कैंटीन, कार तथा अन्य वाहनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, पठन कक्षों, उपस्कर एवं अन्य संपत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव की व्यवस्था करेगा; और
- (ञ) समविश्वविद्यालय संस्थान के प्राधिकारियों की ओर से आधिकारिक पत्राचार करेगा।

छ. वित्त अधिकारी

- (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी और वह सम विश्वविद्यालय संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

- (2) वित्त अधिकारी को पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह वित्त अधिकारी की नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होगा। परन्तु, किसी भी मामले में, वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।
- (3) वित्त अधिकारी की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जो कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं।
- (4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त होता है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।
- (5) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किन्तु उसे ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझ जाएगा।
- (6) वित्त अधिकारी के कार्य:-
 - (क) सम-विश्वविद्यालय संस्थान की निधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा; और
 - (ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे कार्यकारी परिषद द्वारा सौंपे जाएं या जो सम-विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा विहित किए जाएं।
- (7) कार्यकारी परिषद के नियंत्रणाधीन वित्त अधिकारी
 - (क) सुनिश्चित करेगा कि कार्यकारी परिषद द्वारा एक वर्ष के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती व्ययों के लिए नियत सीमाएं पार नहीं की जाती हैं और यह कि सभी राशियां उस उद्देश्य पर खर्च की जाती हैं जिस उद्देश्य विशेष के लिए उन्हें अनुदत्त किया गया है या आवंटित किया गया है;
 - (ख) सम विश्वविद्यालय संस्थान के वार्षिक लेखा और उसके बजट की तैयारी के लिए तथा कार्यकारी परिषद के समक्ष उसकी प्रस्तुति को लेकर उत्तरदायी होगा;
 - (ग) नकदी और बैंक शेष की स्थिति और निवेशों की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखेगा;
 - (घ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नज़र रखेगा और नियोजित संग्रहण की पद्धति पर परामर्श देगा;
 - (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्ट्रों का रख-रखाव और अद्यतन कार्य किया जा रहा है तथा सभी कार्यालयों, विभागों, विद्यालयों, संकायों, केन्द्रों और विशिष्ट प्रयोगशालाओं में उपस्कर एवं अन्य उपभोग्य सामग्रियों का स्टॉक-जांच कार्य हो;
 - (च) अनधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति के ध्यान में लाएगा और त्रुटि करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर सुझाव देगा;
 - (छ) सम-विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, विभाग, विद्यालय, संकाय, केन्द्र, प्रयोगशाला आदि से ऐसी कोई सूचना या विवरण मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे; और
 - (ज) कुलपति के निदेश के अंतर्गत कार्य करेगा और कुलपति के माध्यम से कार्यकारी परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा।

ज. परीक्षा नियंत्रक. (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी और वह सम विश्वविद्यालय संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

- (2) परीक्षा नियंत्रक को पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परन्तु परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

- (3) परीक्षा नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं।
- (4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त होता है या जब परीक्षा नियंत्रक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें कुलपति ने इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया होगा।
- (5) परीक्षा नियंत्रक ऐसी रीति में जो सम विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा विहित की जाए सम विश्वविद्यालय संस्था की परीक्षाओं की व्यवस्था और अधीक्षण करेगा।
- (6) परीक्षा नियंत्रक शैक्षिक परिषद का स्थायी आमंत्रित सदस्य होगा।
- (7) परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में कार्यकारी समिति, शैक्षिक परिषद और कुलपति के सभी विनिर्दिष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाता है।

झ. संकायाध्यक्ष - (1) संबद्ध विषयों से संबंधित विभागों को संकायों/ विद्यालयों आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है और प्रत्येक संकाय का नेतृत्व एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

- (2) कुलपति द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए चक्रानुक्रम द्वारा विद्यालय/संकाय में से प्रत्येक विद्यालय/संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा;

परंतु यदि किसी मामले में एक विद्यालय/संकाय में केवल एक आचार्य या कोई भी आचार्य न हो, ऐसे में तत्समय के लिए संकायाध्यक्ष को विद्यालय/संकाय में आचार्य में से, यदि कोई हो, सह-आचार्य नियुक्त किया जाएगा; यदि किसी मामले में एक विद्यालय में केवल एक आचार्य या कोई भी आचार्य न हो, ऐसे में तत्समय के लिए संकायाध्यक्ष को विद्यालय/संकाय में आचार्य में से, यदि कोई हो, सह-आचार्य नियुक्त किया जाएगा;

- (3) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त होता है या जब संकायाध्यक्ष बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों को विद्यालय में यथास्थिति, ज्येष्ठतम आचार्य या सह-आचार्य द्वारा किया जाएगा।
- (4) संकायाध्यक्ष विद्यालय/संकाय केंद्र का अध्यक्ष होगा और विद्यालय/संकाय केंद्र में शिक्षण तथा अनुसंधान के मानकों का संचालन और अनुरक्षण और ऐसे अन्य कार्य जो सम विश्वविद्यालय संस्थान के नियमों द्वारा विहित किए जाए के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- (5) संकायाध्यक्ष को यथास्थिति विद्यालय/संकाय केंद्र के पाठ्य बोर्ड या समितियों की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार प्राप्त होगा, किन्तु उसे तब तक मताधिकार प्राप्त नहीं होगा जब तक कि वह उनका सदस्य न हो।

ञ. विभागाध्यक्ष.-(1) समविश्वविद्यालय संस्था में प्रत्येक विभाग/केंद्र के लिए विभाग का एक प्रमुख/केंद्र का अध्यक्ष होगा जिसे कुलपति द्वारा विभाग/केंद्र के आचार्यों में से नियुक्त किया जाएगा परन्तु आचार्य नहीं है या केंद्र/विभाग में केवल एक आचार्य है जिसका केंद्र के विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो कुलपति एक सह-आचार्य को विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

- (2) केंद्र के विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा और वह विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (3) विभाग के प्रमुख/केंद्र के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य सम विश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

24. प्रवेश और फीस संरचना

क. प्रवेश.-सार्वजनिक या स्ववित्तपोषित सम विश्वविद्यालय संस्था में छात्रों का प्रवेश, सरकारी परीक्षण अभिकरण या सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर सही अर्थ में और समुचित कानूनी प्राधिकरण द्वारा विहित, जहां भी लागू हो, होगा। प्रवेश परीक्षा नहीं होने की स्थिति में सम विश्वविद्यालय संस्था में छात्रों का प्रवेश विवरण पत्रिका में विनिर्दिष्ट रीति से किया जा सकेगा।

ख. फीस संरचना- (1) किसी भी नामपद्धति या रूप में दान/प्रतिव्यक्ति फीस, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कड़े रूप से प्रतिषिद्ध है।

(2) सम विश्वविद्यालय संस्था सुसंगत कानूनी निकायों द्वारा जारी फीस संरचना, सीटों की संख्या आदि के संबंध में नियमों/विनियमों का पालन करेंगी और यदि कोई सम विश्वविद्यालय संस्था विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है, जो विभिन्न कानूनी निकायों अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद आदि के विनियामक दायरे में आते हैं, तो ऐसे कानूनी निकाय द्वारा जारी की गई फीस संरचना, सीटों की संख्या आदि के संबंध में नियम/विनियम लागू होंगे।

(3) फीस अलाभकारी/ वाणिज्येतर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी रूप से नियत होगा।

(4) फीस सम विश्वविद्यालय संस्था की विवरण पत्रिका में घोषित और ऐसे संदाय के लिए उचित रसीद के साथ एकत्रित की जाएगी। विवरण पत्रिका में यह भी होगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी नामपद्धति या रूप में दान/ प्रति व्यक्ति फीस छात्र/अभिभावक से नहीं वसूली जाएगी। किसी शिकायत के मामले में छात्र/अभिभावक अपनी शिकायत संस्थान/सम विश्वविद्यालय संस्था को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) सम विश्वविद्यालय संस्था सोसाइटी के आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से वंचित समूहों के मेधावी छात्रों को फीस रियायत/छात्रवृत्तियां प्रदान करेगा या कुछ सीटें उन्हें आबंटित कर सकेगा।

(6) समविश्वविद्यालय संस्था फीस की वापसी और मूल प्रमाण-पत्रों की वापसी के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करेगा।

(7) प्रत्येक समविश्वविद्यालय संस्था अभ्यर्थियों के चयन की पूरी प्रक्रिया के अभिलेख बनाए रखेगा तथा अपनी वेबसाइट पर ऐसे अभिलेख प्रदर्शित करेगा और ऐसे अभिलेख को कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रखेगा।

(8) समविश्वविद्यालय संस्था प्रवेश आरंभ होने के कम से कम 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर फीस संरचना प्रतिदाय नीति, कार्यक्रम में सीटों की संख्या, पात्रता, आर्हता एवं प्रवेश प्रक्रिया आदि सहित विवरण पत्रिका उपलब्ध करवाएगा।

(9) सम विश्वविद्यालय संस्था छात्रों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के किसी भी मूल प्रमाण पत्र को अपने पास नहीं रखेगा।

25. सम विश्वविद्यालय संस्था सभी के लिए खुला है: (1) सम विश्वविद्यालय संस्थान सभी लिंगों के और किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुला होगा और यह किसी भी व्यक्ति पर धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की किसी भी परीक्षा को अपनाने या अधिरोपण के लिए विधिपूर्ण नहीं होगा जिससे कि उसे सम विश्वविद्यालय संस्था के संकाय सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सके या कार्यालय में अन्य कोई भी प्रक्रिया अपनाने का अधिकार दिया जा सके या सम विश्वविद्यालय संस्था में एक छात्र के रूप में भर्ती किया जा सके या वहां स्नातक हो सके या किसी भी विशेषाधिकार का आनंद ले सके या उसका उपयोग कर सकें।

परंतु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा जो संस्था को महिलाओं, दिव्यांगजनों या कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के रोजगार या प्रवेश के लिए या सोसाइटी और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

और नागरिकों के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगो को रोजगार या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से रोके।

(2) प्रवेश, फीस और रोजगार के मामलों में सभी नीतियों और प्रक्रियाएं, जो क्रमशः विश्वविद्यालय स्तर के सार्वजनिक वित्तपोषित और स्व-वित्तपोषित संस्थानों पर लागू होती हैं, लागू होगी।

26. सम विश्वविद्यालय संस्था का एकात्म स्वरूप: सम विश्वविद्यालय संस्था प्रकृति में एकात्मक होगा और किसी अन्य संस्था को संबद्ध नहीं करेगा।
27. आरक्षण नीति:- सम विश्वविद्यालय संस्था भारत के संविधान और तत्समय प्रवृत्त संसद के किसी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रवेश और भर्ती में आरक्षण पर नीति को लागू करेगा और अपनर वेबसाइट पर ऐसी सभी जानकारी को प्रदर्शित करेगा।
28. ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा:- सम विश्वविद्यालय संस्था समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार ऑनलाइन पाठ्यक्रमों/दूरस्थ पाठ्यक्रमों/उपाधियों को पेश कर सकेगा।
29. विनियमों के उल्लंघन करने के लिए जांच और परिणाम के संचालन की शक्ति: (1) जहां, यथास्थिति सरकार या आयोग शिक्यत के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से सूचना प्राप्त करना चाहता है या किसी सम विश्वविद्यालय संस्था ने इन विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है तो उक्त आशय की सूचना की जांच हेतु उक्त सम विश्वविद्यालय संस्था को नोटिस जारी करने के पश्चात् ऐसी सूचना के तथ्यों की जांच करेगा।
- (2) आयोग शैक्षिक परिणामों या जांच के प्रयोजन के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में शिक्षाविदों, प्रशासन और वित्त के मामलों में विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण भी कर सकेगा।
- (3) जांच के आधार पर या इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से, यदि यथास्थिति, सरकार या आयोग का यह समाधान हो जाता है कि इन विनियमों का उल्लंघन किया गया है तो सम विश्वविद्यालय संस्था इन विनियमों में यथा उपबंधित ऐसी कार्रवाई के अधीन होगा।
30. पूर्व विनियमों के अधीन प्रस्तावों पर विचार:- किसी संस्था को सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषणा या ऑफ कैम्पस केंद्र/केंद्रों या ऑफ शोर कैम्पस/कैम्पसों की स्थापना के लिए अनुमोदन के सभी आवेदन हेतु जो सरकार द्वारा प्राप्त किए गए हैं या यथास्थिति या इन विनियमों की प्रकाशन की तारीख से पहले आयोग में लंबित या प्रक्रियाधीन है इन विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा परंतु कि आवेदक लिखित रूप में एक वचनबंध प्रस्तुत करें कि ऐसे आवेदन की तारीख से सम विश्वविद्यालय संस्था को शासित करने वाले आयोग विनियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है और यह कि इन विनियमों के अधीन आवेदन के अनुमोदन के अधीन छह वर्षों की अवधि के भीतर यथास्थिति आवेदक इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा पर आवेदक की प्रास्थिति को सम विश्वविद्यालय संस्था ऑफ कैम्पस/ऑफ शोर कैम्पस के रूप में प्रास्थिति को वापिस ले लिया जायेगा।
31. निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट.- (1) सम विश्वविद्यालय संस्था की लेखा बही का रख-रखाव, प्रबंधन तथा प्रचालन सम विश्वविद्यालय संस्था के नाम पर किया जाएगा न कि प्रायोजक निकाय या किसी अन्य निकाय के नाम पर और सम विश्वविद्यालय संस्था के लेखा का रख-रखाव ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जो कार्यकारी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए तथा आयोग द्वारा इस संबंध में विहित किए गए नियमों, यदि कोई हों तो, के अनुरूप किया जाएगा।
- (2) किसी भी समय सम विश्वविद्यालय संस्था के लेखा से प्रायोजित निकाय या अन्य किसी निकाय के लेखा सहित किसी अन्य लेखा में निधियों का अपयोजन नहीं किया जाएगा।
- (3) सम विश्वविद्यालय संस्था अपनी लेखा बहियों की वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा कराएगा, उसे अलग से प्रकाशित करेगा और संस्था की वेबसाइट पर अपलोड करेगा; और यदि ऐसे संस्था को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसके अभिकरणों के माध्यम से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है, तो ऐसे सम विश्वविद्यालय संस्था के लेखा की भारत के नियंत्रक- महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी सम विश्वविद्यालय संस्था के लेखा का, जहां अपेक्षित हो, आयोग द्वारा निरीक्षण भी किया जा सकेगा।

- (4) वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखाओं की लेखा परीक्षा एक अर्हित वृत्तिक द्वारा की जाएगी जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का सदस्य या अध्येता हो, जिसे सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा नियुक्त किया जाए परन्तु कि आयोग सम विश्वविद्यालय संस्था के लेखा से वित्तीय अनियमितता या गबन या अवैध अपयोजन या इन विनियमों के उपबंधों के विरुद्ध फीस संग्रहित करने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर एक नोटिस जारी करेगा जिसमें सम विश्वविद्यालय संस्था को कारण बताने को कहा जाएगा कि शिकायत के संबंध में फॉरेंसिक लेखा परीक्षा सहित निरीक्षण का आदेश क्यों न जारी किया जाए, तथा प्रतिवादी संस्था को एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि इस मामले में आगे की कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है, आयोग एक दल द्वारा निरीक्षण करवाएगा, और फॉरेंसिक लेखा परीक्षा का भी निदेश देगा; इन विनियमों के अधीन निरीक्षण दल की रिपोर्ट और फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट आयोग के लिए आगे की कार्रवाई करने का आधार बनेगी, जैसा भी उचित समझा जाए, जिसमें सरकार को सम विश्वविद्यालय संस्थान की प्रास्थिति वापिस लेने के लिए सिफारिश भी सम्मिलित है।
- (5) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षा रिपोर्टें कार्यकारी परिषद् से सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् सम विश्वविद्यालय संस्था की वेबसाइट और आयोग पोर्टल पर भी अपलोड की जाएंगी। केंद्रीय सरकार /राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित/वित्तपोषित सम विश्वविद्यालय संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरणों और वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सरकार को प्रस्तुत करेंगी।
32. **प्रकीर्ण** - (1) समविश्वविद्यालय संस्था यथा शीघ्र शैक्षिक कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात् और ऐसे समापन की तारीख से 180 दिनों के भीतर किसी भी मामले में, यह सुनिश्चित करेगा कि डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में कोई अन्य अर्हता छात्रों को प्रदान की जाती है या उपलब्ध कराई जाती है।
- (2) सम विश्वविद्यालय संस्था अनिवार्य रूप से अपने छात्रों के शैक्षिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी (एबीसी) बनाएंगे और डिजिटल लॉकर में उनके क्रेडिट स्कोर अपलोड करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में परिलक्षित हों और समर्थ ई-जीओवी को अपनाएंगे।
- (3) कोई भी समविश्वविद्यालय संस्था किसी भी समय चाहे प्रत्यक्ष रूप से या संपरिवर्तित रूप से सम विश्वविद्यालय संस्था के ऑफ या ऑफ शोर कैम्पस या संघटक इकाई या पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम या विभाग या विद्यालय या संकाय की स्थापना के रखरखाव करने या संचालित करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन से कोई विशेषाधिकार करार या ठहराव नहीं करेगा, निम्नलिखित मामलों के सिवाय अर्थात:-
- (क) सम विश्वविद्यालय संस्था जो विनियम 8 के उपविनियम (1) और उपविनियम (2) के अधीन पात्र है एक करार या ठहराव कर सकेगा यदि-
- (1) ऐसी संस्था की स्थापना, रखरखाव या संचालन की अनुज्ञा संसद के किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दी गई है; और
- (2) इसने इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् विनियम 8 के उपविनियम(3) के अधीन आवेदन किया है।
- (ख) ऐसे करार या ठहराव के अधीन स्थापित किया जाने वाला कैम्पस निम्नलिखित होगा:
- (1) जब तक ऐसा करार या ठहराव ऐसे विधि के अधीन विधिमान्य रहती है, तब तक उसे समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ कैम्पस केंद्र के रूप में माना जाता है:- तथा
- (2) लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों के अधीन एक अलाभकारी इकाई के रूप में सम विश्वविद्यालय संस्था के समान;
- (ग) जो समविश्वविद्यालय संस्था विनियम (8) के अधीन पात्र है संस्थान कौशल-उन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए एक करार या ठहराव कर सकेगा यदि ऐसा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संसद के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

- (घ) टि्वनिंग कार्यक्रम, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम और ड्यूल डिग्री कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (टि्वनिंग, संयुक्त डिग्री और ड्यूल डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों शैक्षिक सहयोग), विनियम 2022 में नियत उपबंधों के अनुसार पेश किए जाएंगे।
- (ङ) सम विश्वविद्यालय संस्था की आय और संपत्ति केवल सम विश्वविद्यालय संस्थान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए उपयोजित की जाएगी।
- (च) आयोग के पास सरकार की किसी लोक नीति के कार्यान्वयन के लिए या किसी प्रवृत्त विधि के संबंध में सम विश्वविद्यालय संस्था को निदेश जारी करने की शक्तियां होंगी, जिसमें सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा किसी विधि या नीति के किसी उल्लंघन के मामले में उपयुक्त निदेश सम्मिलित हैं।
- (छ) सम विश्वविद्यालय संस्था की आय तथा संपत्ति से कोई भी भाग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों को जो किसी समय सम-विश्वविद्यालय संस्था के सदस्य थे या है उनके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को लाभांश, बोनस या किसी अन्य तरीके से लाभ संदत्त या अंतरित नहीं किया जाएगा, सम विश्वविद्यालय संस्था को प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए या यात्रा के लिए या अन्य भत्तों और ऐसे प्रभारों के लिए प्रतिफल के रूप में किसी सदस्य को या अन्य व्यक्ति को सद्भाव पूर्वक पारिश्रमिक के संदाय से नहीं रोकेगी।
- (ज) आयोग के परामर्श से सरकार के पास अधिसूचना में ऐसी अन्य (शर्त)तैं अधिरोपित करने की शक्तियां होंगी, जो इन विनियमों से असंगत नहीं हैं, और ये सम विश्वविद्यालय संस्था पर बाध्यकारी होंगी।
- (झ) जहां कोई सम विश्वविद्यालय संस्था अपने 'सम विश्वविद्यालय संस्था' की प्रतिस्थिति का समर्पण चाहता है, वह सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है और इसी प्रकार सम विश्वविद्यालय संस्था के किसी संघटक इकाई(यों) ऑफ कैम्पस ऑफ शोर कैम्पस को सम विश्वविद्यालय संस्था के दायरे से हटा सकता है, इसके लिए प्रायोजित निकाय को सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेना अपेक्षित होगा।
- परन्तु, यथास्थिति, ऐसा समर्पण या वापसी, तभी प्रभावी होगा जब यथा स्थिति सम विश्वविद्यालय की नामावलियों में छात्रों के अन्तिम बैच को विश्वविद्यालय संस्था अध्ययन कार्यक्रम को पूरा करने और डिग्री प्रदान करने के लिए अर्हता प्राप्त या इसकी संघटक ईकाई करने का अवसर प्रदान किया गया हो।
- (ञ) सम विश्वविद्यालय संस्था अपनी सम्पत्ति या कार्यकलापों के संबंध में ऐसी विवरणी या अन्य जानकारी केन्द्रीय सरकार या आयोग को प्रस्तुत करेगी जो केंद्रीय सरकार या आयोग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो ऐसी अवधि के भीतर जो केंद्रीय सरकार या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (ट) डिग्री प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था का दीक्षांत समारोह ऐसी रीति से आयोजित किया जाएगा जो सम विश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा विहित किया जाए।
- (ठ) कार्यकारी परिषद उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो -तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, अच्छा और पर्याप्त कारण के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए शैक्षिक वैशिष्ट्य की डिग्री, या दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र या डिप्लोमा को वापस ले सकेगी;
- परन्तु कि ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को लिखित में नोटिस न दिया गया हो कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर कारण बताए कि ऐसा संकल्प क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए और जब तक उसकी आपत्तियां, यदि कोई हों, और कोई साक्ष्य जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत कर सके, कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया गया हो।
- (ड) इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में विचारों के टकराव की दशा में आयोग की राय अंतिम होगी।
- (ढ) सम विश्वविद्यालय संस्थानों के संबंध में, इन विनियमों में अंतर्विष्ट उपबंध अधीनियम के उपबंधों के अधीन आयोग द्वारा अन्य विनियमों में किसी असंगति या उपबंधों के मामले में अभिभावी होंगे।

(33) **विधिक कार्यवाहियां** (1) रजिस्ट्रार समविश्वविद्यालय संस्था के विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए वाद दायर कर सकेगा, जिसके पास सम विश्वविद्यालय संस्था की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को प्रमाणित करने की शक्ति होगी इन विनियमों के उपबंधों के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने की शक्तियां होंगी।

(2) इनमें से किसी विनियम के अनुसरण में सरकार या आयोग इन विनियमों के उपबंधों के अधीन विनियम के अनुसरण में की गई कोई बात या तात्पर्यित या आशयित के बाबत आयोग के विरुद्ध कोई दावा की गई कोई बात या तात्पर्यित या आशयित के बाबत या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(34) विनियमों के उल्लंघन के परिणाम

जहां एक सम विश्वविद्यालय संस्था को इन विनियमों या आयोग के किसी अन्य लागू विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो यह निम्नलिखित कारवाइयों में से एक या अधिक के अधीन हो सकेगा।

(क) आयोग या सरकार द्वारा गठित जांच समिति द्वारा स्थापित इन विनियमों के उल्लंघन के लिए, सम विश्वविद्यालय संस्था को सार्वजनिक सूचना के साथ लिखित में चेतावनी दी जाएगी या नए पाठ्यक्रमों/अध्ययन कार्यक्रमों/विभागों और ऑफ कैम्पसों/शोर कैम्पसों के स्थापना के जैसी से विविधीकरण के संदर्भ में किसी भी विस्तार से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जैसा जांच समिति द्वारा सिफारिश की जाए जो भी उच्चतर हो तक वर्जित रखा जाएगा।

(ख) आयोग या सरकार द्वारा गठित जांच समिति द्वारा स्थापित विनियमों का निरंतर उल्लंघन पाठ्यक्रमों या अध्ययन कार्यक्रमों या विभागों या ऑफ कैम्पसों या संघटक संस्थाओं या ऑफ शोर कैम्पसों के बंद होने का परिणाम होगा और सम विश्वविद्यालय संस्था की प्रास्थिति वापस होने का परिणाम होगा।

प्रो. मानिष आर. जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./146/2023-24]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2023

No. F. 1-1/2021 (CPP-I/DU).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of section 26 and sub-sections (2) and (4) of section 12A of the University Grants Commission Act, 1956 and in supersession of the UGC [Institutions Deemed to be Universities] Regulations, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the University Grants Commission, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to regulate in an orderly manner, the process of declaration of institutions of academic excellence as institutions deemed to be Universities and to maintain the quality of higher education imparted by such Universities consistent with the ideals of the concept of a University, namely:—

1. Short-title, application and commencement.— (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

(2) These regulations shall apply to any institution seeking declaration as an institution deemed to be University and to any institution for higher education declared under section 3 of the said Act, to be an institution deemed to be University for the purposes of the University Grants Commission Act:

Provided that the institutions already declared as deemed to be Universities under section 3 shall achieve the eligibility criteria mentioned in sub-regulation (1) of regulation 4 within ten years from the date of commencement of these regulations.

Provided further that the Commission shall take appropriate measures on such institutions which fail to meet the eligibility criteria specified in sub-regulation (1) of regulation 4 of these regulations.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette:

Provided the institutions deemed to be Universities declared prior to the date of commencement of these regulations shall amend the Memorandum of Association or rules of the institution deemed to be University to comply with these regulations within a period of one year from date of commencement of these regulations and the compliance report shall be submitted to the Commission within said time frame, failing which necessary action may be initiated as per the provisions of these regulations.

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires—

- (1) “Academic Council” means the academic council of the institution deemed to be University;
- (2) “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (3) “affiliated college” means a college recognised by, associated with and admitted to the privileges of a University;
- (4) “Board of Studies” means the Board of Studies of a Department of the institution deemed to be University;
- (5) “campus” means campus (single or multiple locations within the city) of the institution deemed to be University wherein its facilities, faculty, staff, students, and Academic Departments are situated;
- (6) “centre” means a centre of studies of the institution deemed to be University;
- (7) “Chancellor”, “Vice-Chancellor”, and “Pro-Vice-Chancellor” means the Chancellor, Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor of the institution deemed to be University, respectively;
- (8) “college” means any institution whether affiliated college or constituent college, known as such or by any other name and provides undergraduate or postgraduate or Ph.D. programmes or all together, for obtaining any qualification from a University, in accordance with the rules and regulations of such University, which has been recognised as competent by the University Grants Commission to provide such programmes or courses of study;
- (9) “constituent college” means a college operating under the administrative, academic, and financial control of the sponsoring body;
- (10) “constituent unit” means an academic unit (Schools or centres or departments) of the institution existing on the date of submission of a proposal to declare an institution to be an institution deemed to be University;
- (11) “Department” means a department of studies of the institution deemed to be University;
- (12) “distinct category” means an existing institution or an institution starting from the beginning with the focus on teaching or research in the unique disciplines or addressing the strategic needs of the country or engaged in the preservation of Indian cultural heritage or preservation of the environment or dedicated to skill development or dedicated to sports or languages or any other discipline, as so determined by the Expert Committee approved by the Chairman of the Commission;
- (13) “Executive Council” means the executive council of the institution deemed to be University;
- (14) “Expert Committee” means a committee consisting of academics and other experts from other fields and includes representatives of the statutory bodies and approved by the Chairman of the Commission;
- (15) “Government” means the Department in the Ministry of Education in the Central Government dealing with the higher education;
- (16) “institution” means an institution of higher education engaged in teaching and research at the undergraduate, post-graduate or higher level;
- (17) “institution deemed to be University” means an institution of higher education so declared by the Central Government by notification under section 3 of the Act, on the advice of the Commission;
- (18) “main campus” means the campus of the institution deemed to be University, where its major facilities, faculty, staff, students, academic departments and administration are situated;
- (19) “NAAC” means the National Assessment and Accreditation Council;
- (20) “NBA” means the National Board of Accreditation;
- (21) “necessary infrastructure” means the infrastructure required under the norms of the concerned statutory body or the Commission, as the case may be;
- (22) “NEP” means the National Education Policy, 2020;

- (23) "NIRF" means the National Institutional Ranking Framework;
- (24) "notification" means a notification issued by the Central Government in the Official Gazette declaring an institution of higher education, as an institution deemed to be University under section 3 of the Act;
- (25) "off-campus" means the premises of the institution deemed to be University, approved by the Government, other than the main campus or the campuses;
- (26) "off-shore campus" means the premises of the institution deemed to be University, approved by the Government, outside India, other than the main campus in India;
- (27) "processing fee" means the fee to be paid by the applicant institution to the Commission along with the application for processing such application;
- (28) "school" or "faculty" means a school or faculty of studies of the institution deemed to be University;
- (29) "sponsoring body" means a body being a charitable or a not-for-profit society or trust or a company under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), submitting an application for declaring an institution under its administrative, academic and financial control as an institution deemed to be University;
- (30) "Standing Committee" means a committee consisting of academics and other experts from other fields and includes representatives of the statutory bodies and approved by the Chairman of the Commission;
- (31) "statutory body" means a body constituted under any law for the time being in force for determining or maintaining standards of quality in the relevant areas of higher education, including the All India Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India (DCI), the Indian Nursing Council (INC), the National Council for Teacher Education (NCTE) and the National Medical Commission (NMC), or any other statutory body established under an Act of Parliament;
- (32) "teacher" means professors, associate professors, assistant professors and such other academic staff as may be appointed for imparting instructions or conducting research in the institution deemed to be University including the adjunct faculty or professor of practice or visiting faculty; and
- (33) the words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them.

3. Objectives of an institution deemed to be University.— (1) The objectives of the institution deemed to be University shall be to —

- (a) provide for higher education leading to excellence and innovations in such branches of knowledge as may be deemed fit, primarily at undergraduate, post-graduate, and research degree levels, fully conforming to the concept of a University;
- (b) engage in inter-disciplinary or multi-disciplinary or trans-disciplinary teaching and research in addition to domain-specific specialisation;
- (c) provide for high-quality teaching and research recognised nationally and globally;
- (d) recognise, identify and foster the unique capabilities of each student, by sensitising teachers as well as parents to promote each student's holistic development;
- (e) provide multi-disciplinary and a holistic education in the faculties of science, engineering, technology, social sciences, arts, humanities, sports and other disciplines;
- (f) transform into research and teaching intensive University over a period of time;
- (g) focus on research and innovation by setting up start-up incubation centers; technology development centres; centres in frontier areas of research; greater industry-academic linkages; and inter-disciplinary research including humanities and social sciences research;
- (h) provide flexible and innovative curriculum, which includes credit-based courses and projects in the areas of community engagement and service, environmental education, value-based education, etc.;
- (i) contribute for social transformation through socially responsive teaching, learning, research, and fieldwork;
- (j) adopt the provisions of NEP, 2020; and
- (k) strengthen the research ecosystem by establishing Research and Development Cell (RDC).

4. Eligibility criteria for an institution to be declared as institution deemed to be University.—(1) The eligibility criteria for considering the applications of the institutions to be declared as institutions deemed to be Universities shall —

- (a) be a multi-disciplinary institution (having minimum five departments either in under-graduate or post-graduate or integrated or research programmes or a combination of all these) or a cluster of institutions offering five programmes (having minimum five departments either in under-graduate or post-graduate or integrated or research programmes or a combination of all these):

Provided that in the case of cluster of institutions, the institutions may be either from the same sponsoring body or from a different sponsoring body or bodies:

Provided further that each institution shall fulfill the eligibility conditions specified in this clause:

Provided also that in case, if the cluster of institutions belonging to different sponsoring bodies intends to acquire deemed to be University status, all the sponsoring bodies shall form an exclusive sponsoring body in the name of the proposed deemed to be University and that sponsoring body shall submit the application for deemed to be University status and all the moveable and immovable assets of such sponsoring bodies shall be transferred to the exclusive sponsoring body;

- (b) be an institution—

- (i) having valid accreditation by NAAC with at least 3.01 cumulative grade point average (CGPA) for three consecutive cycles:

Provided that the application for accreditation or re-accreditation has been submitted by the institution within time in each of these three cycles; or

- (ii) providing two-thirds of eligible technical programmes accredited by the NBA for three consecutive cycles, in the case of the technical institutions:

Provided that the application for accreditation or re-accreditation has been submitted by the institution within time in each of these three cycles; or

- (iii) figuring among the top fifty rankings of the NIRF in any specific category for three consecutive years; or

- (iv) figuring among the top hundred rankings in the overall ranking of NIRF for three consecutive years;

- (c) possess such academic and physical infrastructure as may be specified by the Commission or the relevant statutory body, as the case may be;
- (d) have obtained the approval of the relevant statutory body for the professional courses being offered in the institution at the time of application;
- (e) teacher-student ratio of 1:20 with a minimum combined faculty strength of not less than one hundred and fifty teachers and a minimum combined student strength of three thousand on rolls under the regular classroom mode, of which not less than one fifth being post-graduate or research or as per the norms of the relevant statutory body; and
- (f) have an administrative area, library, lecture halls, labs, hostels, health care, common facilities, and recreational facilities.

(2) Universities established under clause (f) of section 2 of the Act shall not be eligible to apply under these regulations for declaration under section 3 of the Act to declare an institution as an institution deemed to be University.

5. Corpus Fund.— (1) In the case of institutions not funded by the Government, a corpus fund of rupees twenty-five crores or as decided by the Commission from time to time, shall be created and maintained in the name of the institution deemed to be University, including the existing institutions declared under section 3 of the Act as institutions deemed to be Universities.

(2) The interest accrued on the corpus fund shall be used only for the purpose of further development of the institution deemed to be University.

(3) Institutions deemed to be Universities may invest the corpus fund in any suitable scheme or schemes.

6. Procedure for declaration of an institution as an institution deemed to be University.— (1) The sponsoring body of an institution, fulfilling the eligibility criteria specified in regulations 4 may apply 'online' to the Commission on its web portal developed for this purpose, for considering the proposal for declaration of its institution as an institution deemed to be University.

(2) The following documents shall be uploaded on the web portal referred to in sub-regulation (1)—

- (a) no objection certificate (NOC) from the affiliating University in the case of an affiliated College:
Provided that, if no NOC is received by the applicant sponsoring body within sixty days from the date of application, it shall be presumed that the affiliating University has no objection to the request and in such cases, the acknowledgment for receipt of the request shall be submitted as a document;
- (b) a detailed project report (DPR) containing its fifteen-year detailed strategic vision plan and a five-year rolling implementation plan, namely, the academic plan, faculty recruitment plan, students admission plan, research plan, campus information and communication technology plan, infrastructure development plan, finance plan, administrative plan, governance plan, etc. with clear annual milestones and action plans as to how the new institution deemed to be University is being set up and developed, with identifiable output and outcomes and shall also include the available academic and physical infrastructure with the institution;
- (c) details of the sponsoring body with its aims and objectives, along with the details of the key academic and administrative personnel;
- (d) land ownership documents (Sale Deed or Lease Deed for a minimum period of thirty years) in the name of the proposed institution deemed to be University or the sponsoring body and shall give details of land ownership records derived from the official revenue records portal of the State Government or the Union territory administration, as the case may be;
- (e) certificates issued by the NAAC, NBA, or NIRF for accreditation or ranking, as the case may be;
- (f) approval of the relevant statutory bodies according approval for conducting the professional courses, which are currently being run in the institution;
- (g) information regarding the existing academic and physical infrastructure;
- (h) details of the financial sustainability of the proposed institution deemed to be University along with the details of the corpus fund being created in the name of the proposed institution deemed to be University;
- (i) an undertaking to the effect that the proposed institution deemed to be University shall abide by all the provisions of the Act, rules made under the said Act and these regulations; and
- (j) in the case of institutions that are fully or partially funded by the State or Central Government, a letter of commitment from the respective Government to continue financial support to the institution even after the declaration of the institution as an institution deemed to be University.

(3) Copies of the documents referred to in sub-regulation (2) and uploaded on the Commission's web portal shall be disclosed on the website of the institution, duly certified by the Head of the institution or sponsoring body, as the case may be, and if any information is found to be false after due verification, the person responsible for its uploading shall be liable for prosecution under the provisions of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

(4) The Commission shall refer the application for examination by the Expert Committee to be constituted by the Chairman of the Commission and the said Committee may direct the applicant to make a presentation to demonstrate whether or not the institution fulfills the requirements as specified in these regulations and the Committee shall submit its report to the Commission, within thirty days from the date of reference to it and on the basis of the said report, the Commission shall provide its advice to the Central Government within sixty days from the date of receipt of the said report.

(5) Upon consideration of the advice of the Commission and examination of all aspects of the matter, the Central Government, may within thirty days from the date of receipt of the advice of the Commission, declare an institution of higher education as an institution deemed to be University under section 3 of the Act, by notification in the Official Gazette:

Provided that if the proposal for consideration and declaration as an institution deemed to be University is not agreed upon, the Central Government shall convey its decision in writing to the sponsoring body along with the reasons thereof and the decision of the Central Government shall be final:

Provided further that an institution that was declared and notified for a limited period, as an institution deemed to be University under section 3 of the Act, prior to the publication of these regulations shall continue to be an institution deemed to be University in terms of these regulations irrespective of the period for which the initial notification and extension thereof, if any, was issued by the Central Government and in such cases, the Central Government shall issue separate notification for continuation, on the advice of Commission:

Provided also that if the proposal of the sponsoring body is rejected by the Central Government, the sponsoring body may submit a fresh proposal only after one year.

(6) In case of institutions declared as deemed to be Universities, the University which had granted affiliation to such institutions shall transfer the credits and the transcripts of students who are enrolled and studying in the said institution and the existing students may get the degree from the affiliating University or deemed to be University as per the preference of the student and the newly admitted students shall get a degree from the institution which has been granted status as an institution deemed to be University.

7. Procedure for declaration of an institution as institution deemed to be University under ‘distinct category’.—

(1) Online application may be submitted through the Commission’s portal for setting up a new institution deemed to be University for its main campus or main campus and constituent unit devoted to study and research in disciplines referred to in clause (12) of regulation 2 of these regulations, by the following, namely:—

- (i) any sponsoring body, with a philanthropic aim or with a commitment to society or aiming for the social, cultural, and educational development of the country; or
- (ii) Central or the State Government or the Union territory administration.

(2) Existing institutions or cluster of institutions (whether Government or self-financing institution) either from the same sponsoring body or different sponsoring bodies may also apply under this category for the establishment of main campus or main campus and constituent unit, provided that they are devoted to study and research in disciplines referred to in clause (12) of regulation 2 of these regulations and in the case of cluster of institutions belonging to different sponsoring bodies intends to acquire deemed to be University status, the sponsoring bodies concerned shall form an exclusive sponsoring body in the name of the proposed deemed to be University, and that sponsoring body shall submit the application for deemed to be University status, and in such case the entire moveable and immovable assets shall be transferred to that sponsoring body.

(3) Institutions falling under ‘distinct category’ are exempted from the application of provisions of sub-regulation (1) of regulation 4 of these regulations:

Provided that the proposed institution under this category shall start its operations with a minimum of five academic programmes (either in under graduate or post-graduate or integrated or research or combination of all these programmes) with physical and academic infrastructure as per the norms of the relevant statutory body or the Commission, as the case may be.

(4) The sponsoring body shall submit the application along with all the documents referred to in sub-regulation (2) of regulation 6 except the documents referred to in clause (e) of the said sub-regulation.

(5) The Commission shall refer the application for examination by the Expert Committee to be constituted by the Chairman of the Commission and the said Committee may direct the applicant to make a presentation to demonstrate whether or not the institution fulfills the requirements as specified in these regulations and the Committee shall submit its report to the Commission, within thirty days from the date of reference to it, by way of recommendation as to whether or not the Letter of Intent (LoI) can be issued and whether the same shall be issued with or without any additional conditions.

(6) The Commission shall forward its advice to the Government within sixty days from the date of receiving the report of the Expert Committee; and thereafter, the Government shall, having taken into consideration the advice of the Commission, within a further period of thirty days, either issue approval or Letter of Intent (LoI) valid for a period of three years or reject the proposal stating reasons thereto:

Provided that under exceptional circumstances, such as due to natural calamities or pandemics, the validity of Letter of Intent (LoI) may be extended beyond three years by the Central Government for reasons to be recorded in writing, on the advice of the Commission, which may take into account the preparedness of the institution in respect of the fulfillment of the conditions of LoI:

Provided further that if the proposal of the sponsoring body is rejected by the Central Government, the sponsoring body may submit a fresh proposal only after one year.

(7) The sponsoring body shall submit a report regarding the compliance of the conditions specified in the Letter of Intent (LoI) within a period of three years to the Government, which shall be forwarded to the Commission for its verification and advice and the Government may take further steps following the procedure referred to in regulation 6 of these regulations.

8. Off-campus centres.—(1) (i) Institutions deemed to be Universities with minimum ‘A’ grade and above or ranked from 1 to 100 in the "Universities" category of NIRF rankings of the relevant year are eligible to set up off-campus centres.

- (ii) Institutions declared as deemed to be Universities under “distinct category” may apply for off-campus after five years of their declaration, if they fulfill the criteria specified in clause (i).

(2) Institutions deemed to be Universities with minimum 'A' grade and above or ranked from 1 to 100 in the "Universities" category of the NIRF rankings of the relevant year may submit their application to start off-campus centres through the Commission's portal along with the following documents, namely:—

- (i) from the relevant statutory body (wherever applicable) for approval to set up off-campus centres or, for issuance of Letter of Intent for setting up off-campus centres, as the case may be.

(3) By following the procedure specified in these regulations for setting up the off-campus centres, an institution deemed to be University may also apply on the Commission's portal for establishing an off-campus centre by taking over any affiliated college under the same sponsoring society or trust or company by progressively closing the affiliated college to convert it into an off-campus centre and a no objection certificate from the affiliating University shall accompany the application and the affiliating University may decide on granting no objection certificate to the institution deemed to be University within a maximum period of sixty days from the date of receipt of the request, failing which it shall be presumed that the affiliating University has no objection to the application by the institution deemed to be University for establishing an off-campus centre and in such cases, the acknowledgement for receipt of the request shall be submitted as a document.

(4) The infrastructure at the proposed off-campus centres shall be in accordance with the norms and standards specified by the relevant statutory body or the Commission, as the case may be, and the off-campus centre shall be started with a minimum of five under-graduate or post-graduate or research or combination thereof with a minimum of one thousand students, of which not less than one-fifth of the students are post-graduate or research students with fifty teachers and with required infrastructure facilities.

(5) The Chairman of the Commission may constitute a Standing Committee to undertake an examination of the information furnished by the institution deemed to be University and the Chairman, on behalf of the Commission, shall forward the advice to the Government within sixty days from the date of receipt of the application, by taking into the consideration, the observations made by the said Standing Committee.

(6) The Government shall, after taking into consideration the advice of the Commission may within a period of thirty days from the date of receipt of such advice, either issue a notification for starting an off-campus centres or, as the case may be, a Letter of Intent for setting up of new off-campus centres or reject the proposal by recording the reasons for doing so and the decision of the Central Government shall be final.

(7) On the basis of the advice of the Expert Committee, the Commission shall render its advice to the Government to consider the approval of any such off-campus which was operating before the commencement of these regulations on a case-to-case basis, and to validate the degrees of each programme for the passed-out students, if they fulfill the basic eligibility conditions required for starting the off-campus centre.

(8) If at any time, the information provided by the applicant institution deemed to be University is found to be incorrect, the Government may withdraw the approval granted for starting the off-campus centre; and in order to protect the interests of students enrolled at such centre, the institution deemed to be University shall take necessary action for shifting of such students to the main campus.

(9) Institution deemed to be University may start new courses or programmes in any field in their existing campus and approved off-campus centres, with the prior approval of its Executive Council and, also wherever applicable, with the approval of the relevant statutory bodies:

Provided that where the institution deemed to be University is in receipt of grant-in-aid or other funds for maintenance from the Central Government or the State Government or its Agencies, as the case may be, prior approval of the appropriate Government shall also be required.

9. Off-shore campus.—(1) Institutions deemed to be Universities may start or establish off-shore campuses with the prior approval of the Central Government in accordance with the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder.

(2) Existing off-shore campuses shall continue to operate, provided they have obtained proper permissions and approval.

10. Monitoring.—(1) The Commission shall monitor the performance and academic outcomes of the institutions deemed to be Universities having valid accreditation by the NAAC with less than an 'A' grade or ranked more than 100 ranks in the NIRF rankings (Universities category) not later than every five years, on the basis of a report submitted annually by the institutions deemed to be Universities.

(2) The performance and academic outcomes of the institutions deemed to be Universities having valid accreditation by the NAAC with less than an 'A' grade or ranked more than 100 in the NIRF rankings (Universities category) shall be evaluated either physically or virtually by an Expert Committee, as may be decided by the Commission and for the purposes of such evaluation, the Expert Committee may adopt such procedure as it may deem appropriate.

(3) The Expert Committee shall submit a report to the Commission specifying its recommendations on the performance and academic outcomes of the institution deemed to be University and those institutions deemed to be Universities that are found to be deficient in some aspects, shall be given a period to be specified by the Expert Committee, to rectify the deficiencies, failing which, the Expert Committee shall recommend for withdrawal of permission given under sub-regulation (9) of regulation 8 for starting new courses or programmes by the institution deemed to be University, in any field, in their existing campus and the approved off-campus centres.

(4) In cases where, the Expert Committee has recommended for withdrawal of permission under sub-regulation (3), the Commission shall issue appropriate order informing the institution deemed to be University and the relevant statutory body concerned and in case, if the Commission finds that the institution deemed to be University is not adhering to its order, the Commission shall take action as per the provisions of regulation 34.

(5) The Commission shall decide on the physical verification of an institution deemed to be University or constitute teams for such verification on its own or upon receipt of any complaint against the accuracy and veracity of the information submitted to the Commission and also hosted on the website of the institution.

11. Governance.—(1) The proposed or existing institution deemed to be University shall be registered as a not-for-profit society under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or as a not-for-profit trust under the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882) or as a not-for-profit company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013):

Provided that a sponsoring body exclusively established for running educational institutions shall be exempted from registering as a separate not-for-profit society or trust or a company and the sponsoring body shall specifically mention in its registration deed that the sponsoring body is exclusively for running educational activities and no other activities are being carried out or shall be carried out in the future under it:

Provided further that if the sponsoring body of an existing institution deemed to be University does not have a society or trust or company exclusively for running educational institutions, it shall form a new not-for-profit society or trust or company, for the purposes of institution deemed to be University and in such cases, the sponsoring body shall be exempted from transferring its moveable and immovable assets to the newly created society or trust or company, if such sponsoring body provides a notarised affidavit to the effect that the entire moveable and immovable assets allocated to the institution deemed to be University shall not be leased or otherwise disposed of without the prior permission of the Commission:

Provided also that the sponsoring body shall make available the necessary infrastructure for operating the institution deemed to be University without any rental or other such charges.

(2) All moveable and immovable assets of the institution deemed to be University shall be used for the purposes of conducting academic activities, promotion of research and related administrative requirements of the institution deemed to be University, including the outreach educational activities.

(3) The highest governing body of the institution deemed to be University shall be the Executive Council to be headed by the Vice-Chancellor and consisting of not less than ten and not more than thirteen members.

(4) The Executive Council shall be the principal executive body of the institution deemed to be University.

(5) The composition of the Executive Council shall be as under -

- (a) Vice-Chancellor-Chairperson;
- (b) Pro-Vice-Chancellor (wherever applicable);
- (c) two members from amongst the Deans of schools of studies, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (d) one Professor, who is not a Dean, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (e) one Associate Professor, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (f) one Assistant Professor, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (g) in the case of institution deemed to be University that is controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipts from the Central or State Government, the respective Government shall nominate an officer, not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or his or her representative and in respect of all other institutions deemed to be Universities, the Commission shall nominate a representative;
- (h) up to four nominees of the Sponsoring body; and
- (i) the Registrar, who shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council.

12. Tenure of the members of Executive Council.—(1) All the members of the Executive Council, other than the Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years and in the case of Deans, the term shall be three years or until they hold the office of Dean, whichever is earlier.

(2) Members of the Executive Council appointed by the Vice-Chancellor from Professor, Associate Professor and Assistant Professor category shall hold office for a period of one year or till such time they cease to be teachers of the University, whichever is earlier.

13. Powers and limitations of Executive Council.—(1) The Executive Council shall have the power of management and administration of the institution deemed to be University.

(2) The Executive Council shall be the final decision-making body of the institution deemed to be University in respect of every matter of the institution deemed to be University, including academic, administrative, personnel, financial, and developmental matters.

(3) Subject to the provisions of these regulations and the rules of the institution deemed to be University, the Executive Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

- (a) to appoint such Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff, including Chairs, as may be necessary, on the recommendation of the Selection Committee constituted for the said purpose and to fill up temporary vacancies therein;
- (b) to regulate and enforce discipline amongst the employees of the institution in accordance with the rules of the institution deemed to be University;
- (c) to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Professor of Practice, Consultants, Scholars, etc., and determine the terms and conditions of such appointments;
- (d) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the rules and regulations of the institution deemed to be University;
- (e) to make rules and regulations for the institution deemed to be University; and
- (f) if the institution is controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central or State Government, the creation of posts shall be done by the Executive Council with prior approval of the respective Government from which grants are being released.

14. Meetings of Executive Council.—(1) The Executive Council shall meet at least four times a year (minimum two in one semester), with not less than seven days' prior notice given before every meeting of the Executive Council and emergency meetings may be convened at a shorter notice, for reasons to be recorded in writing for such emergency meeting.

(2) One-third of the total number of members of the Executive Council shall form the quorum for the meeting.

(3) In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor shall preside over the meeting; and where there is no Pro-Vice-Chancellor in an institution deemed to be University, a member chosen by the other members of the Executive Council present at the meeting, shall preside over the meeting.

(4) Every member of the Executive Council including the Chairperson, shall have one vote and the decisions at the meetings of the Executive Council shall be taken by simple majority; and in case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote.

(5) Any business, which may be urgent in nature, may be carried out by circulation amongst its members.

(6) A copy of the minutes of each meeting shall be furnished to the Chancellor of the institution deemed to be University, as soon as possible after the convening of the meeting.

15. Termination of membership.— If a member other than the Vice-Chancellor and those representing the teachers, accepts a full-time appointment in the institution deemed to be University or fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council, without proper leave of absence, such member shall cease to be a member of the Executive Council.

16. Delegation of powers of Executive Council.— The Executive Council may, by a resolution, delegate to the Vice-Chancellor or any other officer or faculty or to a Committee of officers or faculties of the institution deemed to be University, such powers as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Vice-Chancellor or the officer or faculty or the Committee in the exercise of the powers so delegated, shall be reported at the next meeting of the Executive Council.

17. Other authorities of institution deemed to be University.—

A. Academic Council: (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the institution deemed to be University and shall, subject to the provision of the rules of the institution deemed to be University, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policy of the institution deemed to be University.

(2) The composition of the Academic Council shall be as under—

- (i) Vice Chancellor - Chairperson;
- (ii) Pro Vice-Chancellor (wherever applicable);
- (iii) Deans of faculties of the schools and heads of the departments or centres;
- (iv) up to ten Professors (excluding those who are Deans of schools and heads of departments or centres) by rotation, to be nominated by the Vice-Chancellor giving due regard to the representation of different schools or departments or centres;
- (v) up to five Associate Professors from departments or centres other than the heads of the departments or centres, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (vi) up to five Assistant Professors from the departments or centres other than the heads of the departments or centres, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;
- (vii) six persons of repute from amongst the educationists or experts for their specialised knowledge, who are not in the service of the institution deemed to be University, nominated by the Vice-Chancellor; and
- (viii) the Registrar, who shall be the *ex-officio* Secretary of the Academic Council.

(3) The representation of different categories shall be through rotation and not through an election and the term of members, other than the *ex-officio* members, shall be three years and the Controller of Examination shall be the permanent invitee to the meetings of the Academic Council.

B. Powers and Functions of Academic Council: Subject to the provisions of these regulations and rules of the institution deemed to be University, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

- (a) to exercise general supervision over the academic policies of the institution deemed to be University and to give directions regarding methods of instruction, co-ordination of teaching among departments or faculties or schools or centers, evaluation of research and improvement of academic standards;
- (b) to bring about and promote inter-departmental, inter-faculty, inter-school, inter-center co-ordination and to establish or appoint such committees or boards, as may be deemed necessary for the purpose;
- (c) to consider matters of general academic interest either on its own initiative, or on a reference by a department or faculty or school or centre or the Executive Council, and to take appropriate action thereon;
- (d) to prescribe courses or programmes of study leading to degree and diploma of the institution deemed to be University;
- (e) to make arrangements for the conduct of examinations in conformity with the rules and bye-laws of the institution deemed to be University;
- (f) to maintain proper standards of the examination;
- (g) to recognise diplomas and degrees of Universities and other Institutions and to determine equivalence with the diplomas and degrees of the institution deemed to be University;
- (h) to institute Fellowships, Scholarships, Medals, Prizes, etc.;
- (i) to frame rules covering the academic functioning of the institution deemed to be University, admissions, examinations, award of fellowships and studentships, free-ships, concessions, attendance, discipline, residence, etc.;
- (j) to take a periodical review of the activities of the departments or centres and to take appropriate action to maintain and improve the standards of instruction;
- (k) to recommend the institution of teaching posts (Professors, Associate Professors, and Assistant Professors) to the Executive Council;

- (l) to make recommendations to the Executive Council for the establishment or abolition of departments or centres or schools or faculties, etc.
- (m) to make recommendations to the Executive Council; and
- (n) to exercise such other powers and to perform such other duties, as may be conferred or imposed upon it by the rules of the institution deemed to be University.

C. Meeting of Academic Council.—(1) The Academic Council shall meet as often as necessary but not less than four times (at least two times in a semester) during an academic year with not less than seven days prior notice being given before every meeting of the Academic Council and emergency meetings may be convened at a shorter notice, for reasons to be recorded in writing for such emergency meeting.

(2) One-third of the total number of members of the Academic Council shall constitute the quorum for the meeting of the Academic Council.

(3) Each member, including its Chairperson, shall have one vote, and decisions at the meetings of the Academic Council shall be taken by simple majority; and in case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote.

(4) Any business that may be necessary for the Academic Council to perform, which may be urgent in nature, may be carried out by circulation amongst its members.

18. Finance Committee.— (1) The composition of the Finance Committee shall be —

- (i) Vice Chancellor - Chairperson;
- (ii) Pro Vice-Chancellor (wherever applicable);
- (iii) one person nominated by the society or trust or company, as the case may be (wherever applicable);
- (iv) three persons to be nominated by the Executive Council, out of whom at least one shall be a member of the Executive Council;
- (v) one representative of the Central Government not below the rank of Joint Secretary or his representative to the Government of India, in case the institution is controlled and managed by the Central Government or is receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central Government directly or through its Agencies; and in all other institution deemed to be Universities, the Commission shall nominate a representative;
- (vi) three persons to be nominated by the Chancellor;
- (vii) Finance Officer-Secretary- *ex officio*

(2) In case the institution deemed to be University is controlled or managed or funded by the State Government, one representative of such Government.

(3) All members of the Finance Committee other than *ex-officio* member shall hold office for a term of three years.

(4) The Finance Committee shall meet at least four times in an academic year (at least twice each semester) to examine the accounts and scrutinise the proposals for expenditure and one-third of the total number of members of the Finance Committee shall form the quorum for a meeting.

(5) All proposals relating to the creation of posts and those items which have not been included in the Budget, shall be examined by the Finance Committee before the Executive Council considers them and to decide waiver in fees, the establishment of scholarships, freeship and any other financial benefits.

(6) The annual accounts and financial estimates of the institution deemed to be University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter the same shall be submitted to the Executive Council for approval.

(7) The Finance Committee shall recommend limits for the total recurring and non-recurring expenditures for the year, based on the income and resources of the institution deemed to be University.

19. Board of Studies.— (1) There shall be one Board of Studies for each department or school of the institution deemed to be University. The composition of the Board of Studies shall be—

- (i) Dean of school or Head of the department - Chairperson;
- (ii) all Professors of the school or department;
- (iii) two Associate Professors of the school or department, by rotation;
- (iv) two Assistant Professors of the school or department, by rotation; and

- (v) two external experts to be co-opted for their specialised knowledge.

(2) Subject to the overall control and supervision of the Academic Council, the functions of a Board of Studies shall be to approve subjects for research for various degrees and other requirements of research degrees and to recommend to the concerned School Board in such manner as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University regarding—

- (a) courses of studies;
 (b) appointment of supervisors for research; and
 (c) measures for the improvement of the standards of teaching and research.

(3) The powers and functions of the Board of Studies shall be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

20. Selection Committee for appointment of teaching staff.—There shall be one or more Selection Committees constituted, for making recommendations to the Executive Council for appointment to the post of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other posts as may be prescribed, in accordance with the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018.

21. Disqualification.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the authorities, or being appointed as, and for being, an officer, of the institution deemed to be University if—

- (a) if he or she is of unsound mind; or
 (b) if he or she is an un-discharged insolvent; or
 (c) if he or she has been convicted by a court of law for an offense involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months; or
 (d) if he or she has not been appointed as per the provisions of these regulations.

(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned above, the question shall be referred to the Chancellor, and his or her decision shall be final and no suit or other proceedings shall lie in any civil court against such decision.

22. Miscellaneous matters relating to different authorities.— (1) If any question arises, as to whether any person, other than Government nominated or appointed, has been duly nominated or appointed as, or is, entitled to be a member of any authority or any committee of the institution deemed to be University, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final and binding.

(2) Any member, other than an *ex-officio* member of any authority, may resign by a letter addressed to the Registrar, and the resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chancellor or the Chairperson of the Executive Council, as the case may be.

(3) Sudden vacancies among the members of any authority or any Committee of the institution deemed to be University shall be filled by the respective authority, as soon as may be, and within a period of six months.

23. Officers of institution deemed to be University.—

A. Chancellor: (1) The Chancellor shall hold office for a period of five years from the date of assuming office and shall be eligible for re-appointment for one more term by following the procedure prescribed for the appointment of the Chancellor:

Provided that the Chancellor in the institutions deemed to be Universities managed or controlled or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central or State Government or its Agencies, shall be appointed by the respective Government and for other institutions deemed to be Universities, the Chancellor shall be appointed by the sponsoring body.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his or her office, be the head of the institution deemed to be University and shall, if present, preside at the Convocations of the institution deemed to be University held for conferring degrees.

(3) In the case of Government controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt, the Chancellor shall not be removed from office except by an order of the appropriate Government.

B. Vice-Chancellor: (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the institution deemed to be University and shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names suggested by a Search-cum-Selection Committee.

(2) The qualifications of the Vice-Chancellor shall be in accordance with the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018.

(3) The procedure for composition of Search-cum-Selection-Committee (SCSC) for the selection of Vice-Chancellor shall be as under—

- (a) the Vice-Chancellor in the institution deemed to be University managed or controlled or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central or State Government or its Agencies shall be appointed by Central Government or the State Government, as the case may be.
- (b) in case of other institutions deemed to be Universities, the composition of the Search-cum-Selection Committee shall be as under—
 - (i) a nominee of the Chancellor, who shall be a reputed academician as the Chairperson of the Committee;
 - (ii) a nominee of the Chairman, University Grants Commission; and
 - (iii) an academician, with not less than ten years' service as Professor, nominated by the Executive Council.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier and shall be eligible for re-appointment for one more term by following the procedure prescribed for the appointment of Vice-Chancellor:

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he or she shall continue in office until his or her successor is appointed and enters upon his or her office, however, in no case, the Vice-Chancellor shall hold office beyond the age of seventy years:

Provided further that the Chancellor may direct the Vice-Chancellor, after his or her term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year.

(5) In the case of Government controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt, the respective Government may direct the Vice-Chancellor, after his or her term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year.

(6) If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he or she is unable to perform his or her duties due to ill health or any other cause, the Pro-Vice-Chancellor shall perform the duties of the Vice-Chancellor:

Provided that if the Pro-Vice-Chancellor is unavailable, the Chancellor shall appoint the senior most Professor who shall perform the duties of the Vice-Chancellor, until a new Vice-Chancellor assumes office or the existing Vice-Chancellor resumes the duties of his or her office, as the case may be.

Provided further that, in the case of Central Government or State Government controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt, if the Pro-Vice-Chancellor is unavailable, the Government shall appoint the senior most Professor or any other eminent academician to perform the duties of the Vice-Chancellor initially for a period of six months or until a new Vice-Chancellor assumes office or the existing Vice-Chancellor resumes the duties of his or her office, as the case may be.

C. Powers and duties of Vice-Chancellor.— (1) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive Officer and academic officer of the institution deemed to be University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the institution deemed to be University and give effect to the decision of all authorities of the institution deemed to be University.

(2) The Vice-Chancellor may, if he or she is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the institution deemed to be University by or under these regulations and shall report to such authority at its next meeting the action taken by him or her on such matter:

Provided that, if the authority mentioned in this sub-regulation is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the institution deemed to be University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this regulation shall have the right to represent against such action to the Executive Council within ninety days from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(3) The Vice-Chancellor, if he or she is of the opinion that any decision of any authority of the institution deemed to be University is beyond the power of the authority conferred by the provisions of these regulations or that any decision taken is not in the interest of the institution deemed to be University, may ask the authority concerned to

review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(4) The Vice-Chancellor shall be the *ex-officio* Chairperson of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the Convocations held for conferring degrees to the students.

(5) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any authority or other body of the institution deemed to be University, but shall not be entitled to vote unless he or she is a member of such authority or body.

(6) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that these regulations are duly observed and implemented and he or she shall have all the powers necessary to ensure such implementation.

(7) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the institution deemed to be University, and he or she may delegate any such powers to such person or persons, as he or she may deem fit.

(8) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Executive Council, the Academic Council, the Finance Committee, and other authorities.

D. Removal of Vice-Chancellor.— (1) Where there are reasons to believe that the Vice-Chancellor of an institution deemed to be University does not possess the qualifications as required under the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, or is not appointed as per the procedure stipulated in these regulations or has committed any financial or administrative impropriety, the Chairman of Commission shall constitute an enquiry committee consisting of academic, administrative or financial experts to enquire into the matter.

(2) On the directions from the Commission, the Chancellor shall place the Vice-Chancellor under suspension, pending an enquiry.

(3) The enquiry committee shall give an opportunity of hearing to the Vice-Chancellor before submitting its report to the Commission and where the report of the enquiry committee confirms the ineligibility or procedural violations or impropriety, as the case may be, the Commission shall direct the Chancellor to remove the Vice-Chancellor by following due procedure:

Provided that, in respect of the Vice-Chancellor of institution deemed to be University managed or controlled or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt from the Central Government or State Government, the concerned Government shall constitute an enquiry committee which shall provide an opportunity of hearing to the Vice-Chancellor before submitting its report to the Government and in the interregnum period, the Government shall place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry and the Vice-Chancellor shall be removed only by the concerned Government.

(4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Chancellor may, at any time after the Vice-Chancellor has entered upon his or her office, by order in writing, remove the Vice-Chancellor from office on the grounds of incapacity, misconduct or violation of these regulations:

Provided that the Chancellor shall make no such order unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him:

Provided further that the Chancellor may, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending an inquiry.

(5) In case of an institution deemed to be University managed or controlled or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of its annual receipt from the Central or State Government or its Agencies, the actions referred to in sub-regulations (1) to (4) shall have the approval of the appropriate Government.

E. Pro-Vice-Chancellor.— (1) On the recommendation of the Vice-Chancellor, the Executive Council shall appoint a Professor as Pro-Vice-Chancellor to discharge the duties of the Pro-Vice-Chancellor in addition to his or her duties as a Professor:

Provided that in case of Government controlled or managed or receiving funds more than or equal to fifty per cent. of their annual receipt, the Vice-Chancellor shall seek approval of the appropriate Government before appointing Pro-Vice-Chancellor:

Provided further that where the recommendation of the Vice-Chancellor is not accepted by the Executive Council, the matter shall be referred to the Chancellor, who may either appoint the Professor recommended by the Vice-Chancellor or ask the Vice-Chancellor to recommend name of another Professor for re-consideration by the Executive Council.

(2) The term of office of the Pro-Vice-Chancellor shall be such as may be decided by the Executive Council, but it shall not, in any case, exceed five years or until the expiration of the term of office of the Vice-Chancellor, whichever is earlier:

Provided that the Pro-Vice-Chancellor whose term of office has expired shall be eligible for re-appointment by following the procedure prescribed for the appointment of Pro-Vice-Chancellor:

Provided further that the Pro-Vice-Chancellor shall, while discharging the duties of the Vice-Chancellor, continue in office, notwithstanding the expiration of his or her term of office as Pro-Vice-Chancellor, until the Vice-Chancellor resumes office or a new Vice-Chancellor assumes office, as the case may be:

Provided also that, in any case, the Pro-Vice-Chancellor shall retire on attaining the age of sixty-five years.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall have the powers and duties as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor on this behalf, from time to time, and shall also exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

F. Registrar.— (1) (a) The Registrar shall be a whole-time salaried officer of the institution deemed to be University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the selection committee consisting of the following:—

- (i) Vice-Chancellor - Chairperson;
- (ii) one nominee of the Chancellor;
- (iii) two members of the Executive Council nominated by it; and
- (iv) one expert not in the service of the University to be nominated by the Executive Council.

(b) The meeting of the selection committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of the Chancellor's nominee and the experts nominated by the Executive Council and the proceedings of the selection committee shall not be valid unless at least three of the Chancellor's nominees or persons nominated by the Executive Council attended the meeting.

(2) The Registrar shall hold office for a term of five years from the date of assuming office and shall be eligible for re-appointment for a second term by following the procedure prescribed for Registrar:

Provided that, the Registrar shall retire on attaining the age of sixty-two years and the emoluments and other terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

(3) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence, or any other cause, unable to perform the duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(4) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council and the Academic Council, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.

(5) The Registrar shall be directly responsible to the Vice-Chancellor and work under his or her direction.

(6) The Registrar shall have the power to take disciplinary action against employees, excluding teachers and other academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him or her.

(7) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in sub-regulation (6).

(8) In the case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his or her recommendations:

Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

(9) It shall be the duty of the Registrar—

- (a) to be the custodian of the records, the common seal, and such other property of the institution deemed to be University as the Executive Council shall commit to his or her charge;
- (b) to issue all notices convening meetings of the Executive Council, the Academic Council, and any Committees appointed by those authorities;
- (c) to keep the minutes of all the meetings of the Executive Council, the Academic Council, and any Committees appointed by those authorities;
- (d) to conduct the official correspondence between the Executive Council and the Academic Council;
- (e) to supply to the Chancellor copies of the agenda of the meetings of the authorities of the institution deemed to be University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;
- (f) to represent the institution deemed to be University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his or her representative for the purpose;
- (g) to perform such other duties as may be specified in the rules of the institution deemed to be University or as may be required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor, as the case may be;
- (h) to enter into an agreement, sign documents, and authenticate records on behalf of the institution deemed to be University;
- (i) to make arrangements to safeguard and maintain the buildings, gardens, office, canteen, cars and other vehicles, laboratories, libraries, reading rooms, equipment and other properties of the institution deemed to be University; and
- (j) to conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the institution deemed to be University.

G. Finance Officer.—(1) The Finance Officer shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a selection committee constituted for the purpose and he or she shall be a whole-time salaried officer of the institution deemed to be University.

(2) The Finance Officer shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment by following the procedure prescribed for the appointment of the Finance Officer:

Provided that, the Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty-two years.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the Executive Council from time to time.

(4) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Finance Officer shall be *ex-officio* Secretary of the Finance Committee but shall not be deemed to be a member of such Committee.

(6) The Finance Officer shall—

- (a) exercise general supervision over the funds of the institution deemed to be University and shall advise it as regards its financial policy; and
- (b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

(7) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall—

- (a) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and non-recurring expenditures for a year are not exceeded and that all amounts of money are expended on the purpose for which they are granted or allotted;
- (b) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the institution deemed to be university and for their presentation to the Executive Council;
- (c) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;

- (d) watch the progress of the collection of revenue and advice on the methods of collection employed;
- (e) ensure that the registers of buildings, land, furniture, and equipment are maintained and up-to-date and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, departments, schools, faculties, centers and specialised laboratories;
- (f) bring to the notice of the Vice-Chancellor un-authorised expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault;
- (g) call for from any office, department, school, faculty, centre, laboratory, etc. maintained by the institution deemed to be University any information or returns that he or she may consider necessary for the performance of his or her duties; and
- (h) work under the direction of the Vice-Chancellor and shall be responsible to the Executive Council through the Vice-Chancellor.

H. Controller of Examinations.— (1) The Controller of Examinations shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a selection committee constituted for the purpose and he or she shall be a whole-time salaried officer of the institution deemed to be University.

(2) The Controller of Examinations shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment by following the procedure prescribed for the appointment of Controller of Examination:

Provided that the Controller of Examinations shall retire on attaining the age of sixty-two years.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Controller of Examination shall be such as may be prescribed by the Executive Council from time to time.

(4) When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Controller of Examination shall arrange for and superintend the examinations of the institution deemed to be University in the manner as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

(6) The Controller of Examinations shall be a permanent invitee to the Academic Council.

(7) The Controller of Examinations shall ensure that all the specific directions of the Executive Council, Academic Council and Vice-Chancellor in respect of examination and evaluation are complied with.

I. Dean.— (1) The Departments dealing with allied subjects may be grouped into faculties or schools, etc., and every faculty shall be headed by a Dean.

(2) Every Dean of the school or faculty shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the school or faculty, by rotation, for a period of two years:

Provided that if there is only one Professor or no Professor in a school or faculty, the Dean shall be appointed, for the time being, from amongst the Professor, if any, and the Associate Professors in the school or faculty.

(3) When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by the senior-most Professor or Associate Professor, as the case may be, in the School.

(4) The Dean shall be the Head of the school or faculty or centre and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the school or faculty or centre and shall have such other functions as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

(5) The Dean shall have the right to present and speak at any meeting of the Board of Studies or Committees of the school or faculty or centre, as the case may be, but shall not have the right to vote there unless he is a member thereof.

J. Head of the Department.— (1) There shall be a Head of the Department or chairperson of the centre for each of the department or centre in the institution deemed to be University, who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the department or centre:

Provided that if there is no Professor in the department or centre or there is only one Professor in the department or centre, whose term as Head of the department or chairperson of the centre is ending, the Vice-Chancellor may appoint an Associate Professor as Head of the Department.

(2) The term of the Head of the department or chairperson of the centre shall normally be two years and he or she shall be eligible for re-appointment for one more term by following the procedure prescribed for appointment of the Head of the department or chairperson of the centre.

(3) The powers and functions of the Head of the department or chairperson of the centre shall be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.

24. Admission and fees structure.—

A. Admission.—Admission of students to the institution deemed to be University, public or self-financing, shall be strictly based on merit in the entrance exam conducted by a Government Testing Agency or the institution deemed to be University and as prescribed by the appropriate statutory authority, wherever applicable and in case of no entrance examination, the admission of students to the institution deemed to be University may be made in the manner specified in the prospectus.

B. Fee structure.— (1) Donation or capitation fee in whatever nomenclature or form, either directly or indirectly, is strictly prohibited.

(2) The institutions deemed to be Universities shall follow the rules and regulations regarding fee structure, number of seats, etc., issued by the relevant statutory bodies and in case an institution deemed to be University offers different courses which come under the regulatory ambit of different statutory bodies, namely the University Grants Commission, the All India Council of Technical Education, National Medical Council etc., the rules and regulations regarding fee structure, number of seats, etc., issued by such statutory body concerned shall be applicable.

(3) The fee shall be fixed transparently, keeping in view non-profiteering or non-commercial aspects.

(4) The fee shall be collected as declared in the prospectus of the institution deemed to be University and with a proper receipt for such payment and the prospectus shall also state that donation or capitation fee in whatever nomenclature or form, either directly or indirectly, shall not be collected from the student or parent and in case of any grievance, the student or parent may submit their complaint to the institution deemed to be University.

(5) The institution deemed to be University may provide fee concession or scholarships or may allocate some seats to meritorious students belonging to socially and economically deprived groups of the society.

(6) The institution deemed to be University shall abide by all the University Grant Commission notifications, guidelines regarding the refund of fees and return of original certificates, as may be issued from time to time.

(7) Every institution deemed to be University shall maintain the records of the entire process of selection of candidates, exhibit such records on its website, and preserve such records for a minimum period of five years.

(8) The institution deemed to be University shall make available the prospectus on its website at least sixty days before the commencement of admissions, including fee structure, refund policy, number of seats in a programme, eligibility qualifications, admission process, etc.

(9) The institution deemed to be University shall not retain any original certificates of the students, faculty members, and staff.

25. Institution deemed to be University open to all.— (1) The institution deemed to be University shall be open to the persons of all genders and of whatever caste, creed, race or class, and it shall not be lawful for the institution deemed to be University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him or her to be appointed as a faculty member of the institution deemed to be University or to hold any other office therein or to be admitted as a student in the institution deemed to be University or to graduate there at or to enjoy or exercise any privilege thereof:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the institution deemed to be University from making special provision for the employment or admission of women, persons with disabilities, or of persons belonging to the weaker section of the society and, in particular, of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the other socially and educationally backward classes of citizens.

(2) All policies and procedures, in matters of admission, fee, and employment as applicable to the university level public funded and self-financing institutions, respectively, shall apply.

26. Institution deemed to be University to be unitary.— The institution deemed to be University shall be unitary in nature and shall not affiliate any other institution.

27. Reservation policy.— Institution deemed to be University shall implement the policy on reservations in admissions and recruitment, in accordance with the provisions of the Constitution of India and any Act of Parliament for the time being in force and disclose all such information on its website.

28. Online or distance education.— Institutions deemed to be Universities may offer courses online or distance courses or degrees in accordance with the regulations notified by the Commission from time to time.

29. Power to conduct enquiry and consequences for violation of regulations.— (1) Where the Government or the Commission, as the case may be, receives information by way of a complaint or otherwise, that an institution deemed to be University has violated any of the provisions of these regulations, it shall cause to conduct an enquiry into the facts of such information after issuing a notice to the said effect to the institution deemed to be University.

(2) The Commission may also cause an inspection, to be made by experts in matters of academics, administration, and finance regarding academic outcomes or any matter connected with the administration or finances of the institution deemed to be University for the purpose of the enquiry.

(3) Based on the enquiry or through procedures mentioned in these regulations, if the Government or the Commission, as the case may be, is satisfied that the regulations have been violated, the institution deemed to be University shall be subjected to such action as provided in these regulations.

30. Consideration of proposals under previous regulations.—All the applications for the declaration of an institution as an institution deemed to be a University, or for the approval for establishing off-campus centres or off-shore campuses, that have been received by the Government or are pending or under process in the Commission prior to the date of publication of these regulations, as the case may be, shall be processed under the provisions of these regulations:

Provided that the applicant may submit an undertaking in writing that such an application may be processed in terms of the regulations of the Commission governing an institution deemed to be University as were in force on the date of such application, and that, subject to the approval of the application under those regulations, the applicant shall comply with the provisions of these regulations within a period of six years from the date of approval, as the case may be, failing which the status of the applicant as an institution deemed to be University or status of the off-campus or off-shore campus shall be withdrawn.

31. Funds, Accounts, Audit, and Annual Report.— (1) The books of accounts of the institution deemed to be University shall be maintained, managed, and operated in the name of the institution deemed to be University and not in the name of the sponsoring body or any other body; and, shall be kept in such form as may be specified by the Executive Council and conform to the rules or regulations, if any, prescribed by the Commission, in this regard.

(2) Funds shall not be diverted at any time from the accounts of the institution deemed to be University to any other accounts, including to the accounts of the sponsoring body or to any otherbody.

(3) The institution deemed to be University shall get its books of accounts audited annually, separately published and uploaded on the website of the institution; and if such institution is funded by Central or State Government or through its Agencies fully or partially, then the accounts of such institution deemed to be University shall be open for examination by the Comptroller and Auditor General of India and the accounts of institution deemed to be University shall also, where required, be open for inspection by the Commission.

(4) The annual financial statements and accounts shall be audited by a qualified professional, a Member or Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India, to be appointed by the institution deemed to be University:

Provided that, the Commission may, on receipt of information regarding financial impropriety or embezzlement or illegal diversion of funds from the accounts of the institution deemed to be University; or of fees being collected against the provisions of these regulations, issue a notice directing the institution deemed to be University to show cause as to why an inspection, including a forensic audit, not be ordered in respect of the complaint, and after providing a reasonable opportunity to the respondent institution, the Commission may on being satisfied that there were sufficient grounds to proceed further, cause an inspection by a team of the Commission or may direct a forensic audit; the report of and the inspection team and the forensic audit report taken together shall form the basis for the Commission to take further action, as it may be deem fit, under these regulations including the recommendation for withdrawal of institution deemed to be University status, to the Government.

(5) Annual Reports, Annual Financial Statements, and Audit Reports shall be uploaded on the institution deemed to be University website and also on the Commission's portal, after due approval by the Executive Council and the institution deemed to be Universities managed or controlled or funded by the Central or State Government shall submit a copy of the annual report, Annual Financial Statements and annual audit report to the respective Government.

32. Miscellaneous.— (1) The institution deemed to be University shall, as soon as may be, after the completion of the academic programme, and in no case later than one hundred and eighty days from the date of such completion, ensure

that the degree, diploma, certificate, or any other qualification in respect of the programme of studies, is awarded and made available to students.

(2) The institutions deemed to be Universities shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit scores in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC portal and adopt Samarth e-Gov.

(3) No institution deemed to be University shall at any time enter into any franchise agreement or arrangement, either overtly or covertly, with any individual or organisation for establishing, maintaining, or operating the off-campus or off-shore campus or constituent units or course or programme of study or department or school or faculty of the institution deemed to be University except in the following cases, namely:—

- (a) the institution deemed to be University, which is eligible under sub-regulations (1) and (2) of regulation 8 may enter into an agreement or arrangement, if—
 - (i) the establishment, maintenance, or operation of such institution is permitted under any Act of Parliament or the rules or regulations made there under; and
 - (ii) it has made an application under sub-regulation (3) of regulation 8, after following the procedure specified in these regulations
- (b) the campus to be established under such agreement or arrangement shall be—
 - (i) treated as an off-campus centre of the institution deemed to be University as long as such agreement or arrangement remains valid under such law; and
 - (ii) subject to similar standards of audit and disclosure as a not-for-profit entity as that of the institution deemed to be University;
- (c) the institution deemed to be University, which is eligible under regulation 8 may enter into an agreement or arrangement for practical training of students of a skill-oriented vocational courses, if such course is approved by the University Grants Commission or any other body established under any Act of Parliament.
- (d) twinning Programmes, Joint Degree Programmes, and Dual Degree Programmes shall be offered in accordance with the provisions stipulated in the University Grants Commission (Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree, and Dual Degree Programmes) Regulations, 2022.
- (e) the income and property of the institution deemed to be University shall be utilised solely for promoting the objectives of the institution deemed to be University.
- (f) the Commission shall have the power to issue directions to an institution deemed to be University for implementation of any public policy of the Government or in respect of any law in force, including appropriate directions in case of any violation of any law or policy by the institution deemed to be University.
- (g) no portion of the income and property of the institution deemed to be University shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus, or otherwise how so ever by way of profit to the persons who were at any time or are members of the institution deemed to be University or to any of them or any persons claiming through them:

Provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or another person as consideration for any service rendered to the institution deemed to be University or for traveling or other allowances and such other charges.

- (h) in consultation with the Commission, the Government shall have the power to impose such other conditions, not inconsistent with these regulations, in the notification, and the same shall be binding on the institution deemed to be University.
- (i) where an institution deemed to be University wishes to surrender its status of “institution deemed to be University”, it may do so with the prior permission of the Government; and similarly, withdrawal of any constituent units or off-campus or off-shore campus of the institution deemed to be University from the purview of an institution deemed to be University, shall require the sponsoring body to take the prior permission of the Government:

Provided that such surrender or withdrawal, as the case may be, shall take effect only after the last batch of students on the rolls of the institution deemed to be University or its constituent units, as the case may be, have been accorded the opportunity to qualify for the completion of the programme of study and award of degree.

- (j) the institution deemed to be University shall furnish to the Central Government or the Commission such returns or other information with respect to its property or activities as the Central Government or the Commission may, from time to time, require, within such period as may be specified by the Central Government or Commission.
- (k) convocations of the institution deemed to be University for conferring the degrees or for other purposes shall be held in such manner as may be prescribed by the rules of the institution deemed to be University.
- (l) the Executive Council may, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw a degree of academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to, any person by the institution deemed to be University for good and sufficient cause:

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person calling upon him or her to show cause within such time as may be specified in the notice as to why such a resolution shall not be passed and until his or her objections, if any, and any evidence he or she may produce in support of them, have been considered by the Executive Council.

- (m) in the event of conflict of opinion with regard to the interpretation of these regulations, the opinion of the Commission shall be final.
- (n) with regard to institutions deemed to be Universities, the provisions contained in these regulations shall prevail in case of any inconsistency or conflicting provisions in any other regulations issued by the Commission under the provisions of the Act.

33. Legal proceedings.— (1) The Registrar may sue or be sued for the purpose of any legal proceedings against institution deemed to be University, who shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the institution deemed to be University, and have the powers to exercise such powers and perform such duties under the provisions of these regulations.

(2) No suit or legal proceedings shall lie against the Government or the Commission in respect of any thing done or purported or intended to be done in pursuance of any of these regulations.

34. Consequences of the violations of regulations.— Where an institution deemed to be University is found to have violated the provisions of these regulations or any other applicable regulations of the Commission, it may be subjected to one or more of the following actions, namely:—

- (a) for violation of these regulations established by the enquiry committee set up by the Commission or Government, the institution deemed to be University shall be warned in writing with public notice or barred from any expansion in terms of diversification to new courses or programmes of study or departments and establishment of off-campus or off-shore campuses, for a period of three years or as recommended by the enquiry committee, whichever is higher;
- (b) continuous violation of regulations established by the enquiry committee set up by the Commission or the Government may result in closure of the courses or programmes of study or Departments and off-campus or constituent institutions or off-shore campuses or may result in withdrawal of the status of institution deemed to be University;
- (c) in order to protect the interests of students in case of surrender or withdrawal of the status, as the case may be, shall take effect only after the last batch of students on the rolls of the institution deemed to be University or its constituent units, has been accorded opportunity to qualify for the completion of the programme of study and award of degree.

Prof. MANISH R JOSHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./146/2023-24]